लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रपत्र

अधिप्रमाणित

रक्षा राज्यमंत्री

Papers to be laid on the table of Lok Sabha / Rajya Sabha

AUTHENTICATED

RAKSHA RAJYA MANTRI

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	बीडीएल के भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक	2
2.	निदेशक मंडल	3
3.	विगत दस वर्षों पर दृष्टिपात	6
4.	लेखा-सार	7
5.	वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण	8
6.	अध्यक्ष का कथन	9
7.	सूचना	14
8.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	15
9.	लेखा-नीति	44
10.	तुलन-पत्र	50
11.	लाभ-हानि लेखा	51
12.	लेखाओं की अंगभूत अनुसूचियाँ	52
13.	नक़दी आवागमन का विवरण	69
14.	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त जानकारी	70
15.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	71
16.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	73
17.	सांविधिक लेखापरीक्षकों के निरीक्षण तथा कंपनी द्वारा समाधान	76
18.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	77

बीडीएल के भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक

क्र. सं.	नाम	अवधि	
		से	तक
1.	एयर वाइस मार्शल एस जे दस्तूर (नि.)	22 सितंबर 1970	10 अप्रैल 1974
2.	ब्रिगेडियर जे पी एंथोनी (नि.)	11 अप्रैल 1974	31अगस्त 1977
3.	विंग कमांडर वी एम चितले (नि.)	01 सितंबर 1977	30 सितंबर 1980
4.	श्री ज़ेड पी मार्शल	01 अक्तूबर 1980	07 नवंबर 1988
5.	एयर कमाडोर आर गोपालस्वामी, अविसेमे, विसेमे (नि.)	08 नवंबर 1988	30 जून 1994
6.	कमाडोर एस राव, विसेमे (नि.)	01 जुलाई 1994	08 जनवरी 2000
7.	श्री एस गोविन्दराजन	09 जनवरी 2000	31 अगस्त 2000
8.	श्री वी वी गंगाधर राव	01 सितंबर 2000	30 जून 2002
9.	मेजर जनरल पी मोहनदास, विसेमे (नि.)	24 जुलाई 2002	27 अप्रैल 2005
10.	मेजर जनरल राजनीश गोसाईं (नि.)	28 अप्रैल 2005	30 अप्रैल 2008
11.	कमाडोर पी के सामंता, विसेमे (नि.)	01 मई 2008	30 जून 2008

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मेजर जनरल रवि खेतरपाल, विसेमे (नि.)

सरकारी निदेशक

श्री पी के मिश्र
संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली), डीडीपी, रक्षा मंत्रालय (27 अप्रैल 11 से)

श्री आर जी विश्वनाथन
अतिरिक्त. एफ ए (अनु.एवं वि.) तथा संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय (15 जून 11 से)

स्वतंत्र निदेशक

प्रोफेसर आर के मिश्र
वरि. प्रो. तथा निदेशक, आईपीई (08 मार्च 11से)

श्री के एल मेहरोत्रा
भूतपूर्व अ.प्र.नि., मैंगनीज़ ओर (आई) लि. (08 मार्च 11 से)

पूर्णकालिक निदेशक

श्री एस एन मंथा
निदेशक (तकनीकी)

एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव,
विसेमे (नि.)
निदेशक (उत्पादन)

श्री एस वी सुब्बा राव
निदेशक (वित्त)
(01 जुलाई 11से)

स्थायी रूप से विशेषतः आमंत्रित

श्री पी वेणुगोपालन
उत्कृष्ट वैज्ञानिक तथा निदेशक, डीआरडीएल
(डीआरडीओ नामित)

एयर मार्शल के के नोहवार, पविसेमे, विमे,
एडीसी वायु सेना उपाध्यक्ष (पदेन)
(01 अगस्त 11 से)

वाइस अडमिरल डी के दिवान,
अविसेमे
नौसेना उपाध्यक्ष (पदेन)

ले. जनरल जे पी सिंह,
अविसेमे
थल सेना उपाध्यक्ष (पी अण्ड एस) (पदेन)

कंपनी सचिव

श्री एच बी मूर्ति

भूतपर्व निदेशक / स्थायी रूप से विशेषतः आमंत्रित

श्री टी रामचन्द्रु
संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली)
(18 अक्तूबर 10 तक)

श्रीमती रश्मी वर्मा
संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली)
(18 अक्तूबर 10 से 26 अप्रैल 11 तक)

श्री जतिन्दर बीर सिंह
संयुक्त सचिव तथा ए एम (एलएस),
(14 जून 11 तक)

श्री एन विनोद कुमार
निदेशक (वित्त)
(30 जून 11 तक)

एयर मार्शल पी के बरबोरा,
पविसेमे, विमे,
एडीसी वायु सेना उपाध्यक्ष
(31 दिसंबर 10 तक)

एयर मार्शल एन ए के ब्राउने, पविसेमे,
अविसेमे, विमे, एडीसी
वायु सेना उपाध्यक्ष
(01 जनवरी 11से 31 जुलाई 11 तक)

लेखापरीक्षा समिति

(20 मई 2011 से)

प्रोफेसर आर के मिश्र, अध्यक्ष
श्री पी के मिश्र, सदस्य
श्री के एल मेहरोत्रा, सदस्य
श्री एच बी मूर्ति, सचिव

प्रधान कार्यपालक

श्री एम ईश्वर, आईटीएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्री पी माधव राव
अधिशासी निदेशक (सैम)
श्री एल धनंजय
अधिशासी निदेशक (भानूर समूह)
श्री ईमनि कृष्ण
महाप्रबंधक (एस डब्ल्यू)
श्री पी पी सी अजय कुमार
महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)
श्री बी शिव राम प्रसाद
महाप्रबंधक (विपणन एवं संव्यवहार विकास)
श्री पी आर वी प्रसाद
महाप्रबंधक (एम एन आर)
श्री पी के दिवाकरन
महाप्रबंधक (उत्पादन)-भानूर समूह
श्री आर बालकृष्णन
महाप्रबंधक (सीसी एवं सीपी)
श्री अशोक अपसिंगीकर
महाप्रबंधक (निगम गुणता नियंत्रण)
श्री के लक्ष्मीराजम
महाप्रबंधक (ओ पी)

लेखापरीक्षक

मेसर्स डी वी रमण राव ॲण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
हैदराबाद

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एम भास्कर राव ॲण्ड कं., चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

मेसर्स महेश वीरेन्दर एवं श्रीराम, चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

मेसर्स राममूर्ति (एन) एवं ॲण्ड कं., चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

कर परामर्शदाता

बंसल एवं दवे, चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

विधि परामर्शदाता

श्री के श्रीनिवास मूर्ति
श्री पी नागेश्वरश्री

बैंकर्स

आन्ध्रा बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
कार्पोरेशन बैंक
कैनरा बैंक

पंजीकृत कार्यालय

कंचनबाग पोस्ट
हैदराबाद - 500 058
आन्ध्र प्रदेश, भारत
ईपीएबीएक्स 040-23587288 एवं 040 - 24587777
फैक्स 040-24340464

ई-मेल

bdlitd@ap.nic.in

वेबसाइट

http://bdl.ap.nic.in

दस वर्षों पर दृष्टिपात

(₹ करोड़)

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
विक्री	₹ करोड़	283.36	277.72	524.80	450.98	531.53	433.51	454.38	464.82	627.23	939.10
निर्माणाधीन कार्य/संव्यवहाराधीन भण्डार में परिवर्तन	₹ करोड़	(31.92)	52.66	(2.33)	14.81	2.75	(47.67)	51.47	58.24	4.38	(28.18)
उत्पादन मूल्य	₹ करोड़	251.44	330.38	522.47	465.79	534.28	385.84	505.85	523.06	631.61	910.92
सामग्री की खपत	₹ करोड़	112.68	186.36	333.51	313.47	329.01	239.89	351.99	364.84	438.01	580.14
परिवर्द्धित मूल्य	₹ करोड़	138.76	144.02	188.96	152.32	205.27	145.95	153.86	158.22	193.60	330.78
कर-पूर्व लाभ	₹ करोड़	109.44	102.05	79.24	52.28	118.81	50.80	72.49	74.23	50.63	79.17
कराधान के बाद लाभ	₹ करोड़	72.55	64.53	50.56	30.66	76.72	32.74	47.65	47.67	33.77	51.70
ईक्विटी	₹ करोड़	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि	₹ करोड़	244.37	278.17	302.78	307.22	357.79	363.62	384.37	405.13	412.08	437.05
सकल निरुद्ध	₹ करोड़	304.37	316.06	325.77	333.33	341.89	363.01*	383.89	406.26	468.37	510.18
सामग्री-सूची	₹ करोड़	196.72	342.92	358.27	384.62	454.53	338.92	434.25	623.11	570.26	502.19
विविध देनदार	₹ करोड़	11.28	5.05	14.93	24.17	13.87	19.51	21.54	8.95	33.58	45.15
कार्यगत पूँजी	₹ करोड़	263.51	301.29	312.20	316.21	361.94	371.79	384.96	404.86	360.44	361.21
नियोजित पूँजी	₹ करोड़	346.31	386.04	395.86	396.03	437.84	458.15*	478.59	508.81	503.66	502.34
निवल मालियत	₹ करोड़	345.30	384.08	398.66	407.99	457.09	470.86*	495.55	519.93	526.88	551.85
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	3148	3120	2917	2909	2814	2742.00	2715	2788	2894	2897
कर्मचारी पर लागत	₹ करोड़	75.31	81.69	80.74	81.99	84.71	94.71	149.63	151.16	178.84	234.53
पारिश्रमिक प्रति रु. पर परिवर्द्धित मूल्य	₹	1.84	1.76	2.34	1.86	2.42	1.54	1.03	1.05	1.08	1.41
परिवर्द्धित मूल्य प्रति कर्मचारी	₹ लाख	4.41	4.62	6.48	5.24	7.29	5.32	5.67	5.67	6.69	11.42
प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)	₹	631	561	440	267	667	284.72	414	415	294	450

* 2006-07 की स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची का वर्ष 2007-08 में पुनर्व्यवस्थीकरण किया गया.

लेखाओं का सार 31 मार्च 2011 की स्थिति

(₹ लाख)

	चालू वर्ष 2010-2011	विगत वर्ष 2009-2010
स्रोत		
शेयरधारकों की निधियाँ	**55204.94**	52707.74
उधार ली गयी राशियाँ	**5085.47**	5476.66
	60290.41	58184.40
स्रोतों का उपयोग		
स्थायी परिसंपत्तियाँ	**51018.44**	46131.48
घटाव : मूल्यह्रास / क्रमिक अपाकरण	**34695.24**	31092.52
	16323.20	15038.96
निवेश	**53.60**	53.60
आस्थगित ऋण	**4944.98**	5325.37
निवल चालू परिसंपत्तियाँ	**36120.54**	36044.05
विविध व्यय	**-**	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**2848.09**	1722.42
	60290.41	58184.40
अर्जन		
बिक्री (सकल)	**93909.58**	62722.68
निर्माणाधीन कार्य/संव्यवहाराधीन भंडार में परिवर्तन	**-2817.55**	437.91
अन्य आय	**14374.69**	15042.44
	105466.72	78203.03
निर्गम		
सामग्री	**58014.18**	43800.89
वेतन और मज़दूरी	**23453.28**	17883.77
अन्य व्यय	**14196.72**	10567.05
मूल्यह्रास	**2574.18**	1503.93
ब्याज	**6.77**	1.64
	98245.13	73757.28
घटाव : पूँजी तथा अन्य लेखाओं से संबंधित व्यय	**694.96**	616.76
	97550.17	**73140.52**
कर पूर्व लाभ	**7916.55**	5062.51

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों का विवरण

(₹ लाख)

	चालू वर्ष 2010-2011	विगत वर्ष 2009-2010
निधियों के स्रोत		
(ए) परिचालन के आंतरिक सृजन		
कर के बाद लाभ	**5170.31**	3376.82
परिसंपत्तियों पर पूँजीगत लाभ	**0.01**	—
मूल्य ह्रास / क्रमिक अपाकरण	**3602.72**	1851.01
निर्माणाधीन कार्य में पूँजी	—	—
प्रावधान	**2164.02**	1744.02
(बी) बाह्य सृजन		
ईक्विटी	—	—
ऋण	—	—
आस्थगित ऋण	**380.39**	190.19
कार्यगत पूँजी में घटाव		2,698.32
	11317.45	9860.36
निधियों की प्रयुक्ति		
(ए) स्थायी परिसंपत्ति में परिवर्द्धन	**2863.12**	4983.01
विशेष औज़ार एवं उपकरण	**530.73**	794.85
पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य	**1,493.11**	433.23
विविध व्यय	—	—
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**1125.67**	771.63
(बी) लाभांश		
अंतरिम लाभांश	—	—
प्रस्तावित लाभांश	**2300.00**	2300.00
लाभांश कर	**373.12**	382.00
(सी) दीर्घावधि ऋणों की अदायगी	—	—
(डी) आस्थगित ऋण	—	—
(ई) आस्थगित जमा	**391.19**	195.64
(एफ) कार्यगत पूँजी में वृद्धि	**2240.51**	
	11317.45	9860.36
कार्यगत पूँजी में वृद्धि / अपवृद्धि		
सामग्री-सूची	**(6807.20)**	(5284.75)
विविध देनदार	**1156.69**	2463.23
नक़दी तथा बैंक में शेष	**248750.90**	(14624.29)
ऋण तथा अग्रिम	**(478.97)**	3629.70
	242621.42	(13816.11)
घटाव : विविध लेनदार तथा अन्य देयताएँ	**240380.91**	(11117.79)
कार्यगत पूँजी में वृद्धि / अपवृद्धि	**2240.51**	(2698.32)
टिप्पणी : विगत वर्ष के आंकड़ों का यथावश्यक पुनर्व्यवस्थीकरण / पुनर्समूहन किया गया है.		

अध्यक्ष की कलम से

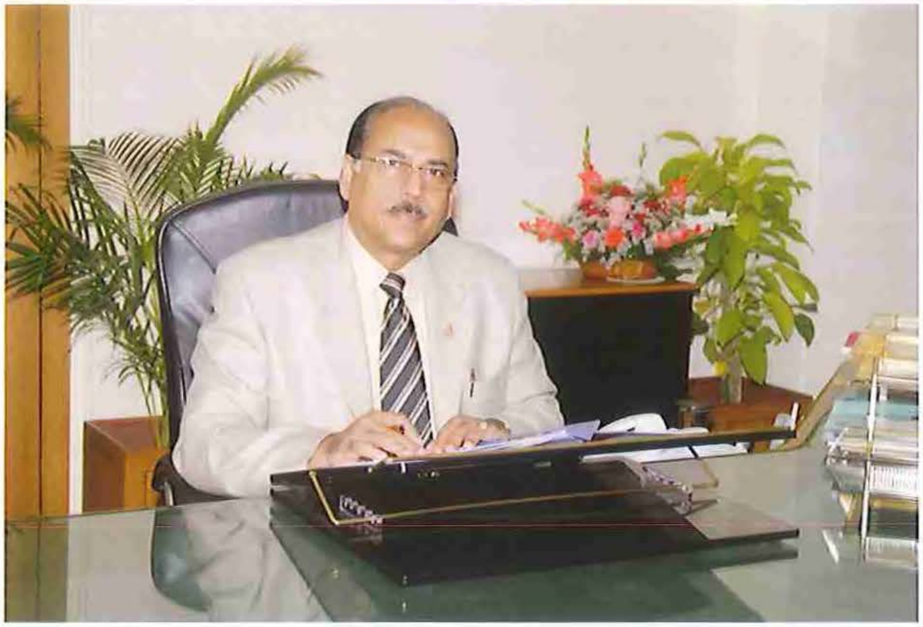

प्रिय सदस्य,

मुझे, वर्ष 2010-11 के दौरान आपकी कंपनी की उपलब्धियों और इसके भविष्य की योजनाओं की जानकारी प्रकट करते हुए हर्ष की प्रतीती हो रही है.

वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन :

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹ 627.23 करोड़ की तुलना में ₹ 939.10 करोड़ का पण्यावर्त हासिल कर 50% का विकास दर्ज किया. कंपनी मिसाइल विनिर्माण क्षेत्र में अभी भी प्रमुख विनिर्माण अभिकरण बनी हुई है तथा अन्तर्जल व हवाई अस्त्रों के क्षेत्र में आन्तरिक उत्पादों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए आगे बढ़ रही है. इसके अतिरिक्त मिसाइलों की प्रयोगावधि का विस्तार किया जा रहा है तथा मिसाइलों के पुन:सज्जीकरण की व्यवहार्यता भी परखी जा रही है. इनके अलावा बढ़ती हुई आंतरकि सुरक्षा सेवाओं की आवश्यकओं को ध्यान में रखते हुए बीडीएल पुलिस एवं अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए पिस्टल भी तैयार कर रहा है.

इस वर्ष के दौरान कंपनी ने भारतीय थल सेना के दो रेजिमेंट के लिए ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति संबंधी ₹ 14.180 करोड़ मूल्य का बड़ा आदेश प्राप्त किया. इसकी प्राप्ति से कंपनी के भविष्य के टर्नओवर में भारी वृद्धि होगी.

लागत में कमी :

बीडीएल सभी इकाइयों में लागत में कमी लाने के लिए टास्क फोर्स कार्यरत है जो सामग्री, वैकल्पिक स्रोत, देशीकरण प्रक्रिया और परिणामी सुधार, ऊर्जा संरक्षण आदि क्षेत्रों में लागत में बचत की संभावनाओं का पता लगाती है.

पर्यावरण पहल :

आपकी कंपनी की सभी इकायों में साफ-सुथरा तथा हरा-भरा माहोल बनाए रखा गया है. साफ-सुथरा परिसर, हरा-भरा माहोल, प्रदूषण नियंत्रण के कड़े उपाय, शून्य नि:स्राव प्रवाह, उर्जा संरक्षण, व्यवस्थित प्रबंधन तथा हानिकारक व अन्य तरह के अपशेषों का निपटारा व अन्य कई तरह के उपाय एक अच्छे स्थापित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के हिस्से बन गए हैं.

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व :

कंपनी आरंभ से ही अपनी ओर से सक्रिय रहते हुए अपने विभिन्न प्रभागों में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) की गतिविधियाँ चला रही है. इन गतिविधियों में गाँवों को अपनाकर समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेय जल जैसी मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध्र कराना आदि शामिल हैं.

हाल ही में, सरकार ने सी एस आर संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं. कंपनी की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति वर्ष 2011-12 से लागू करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई जो एम ओ यू के अंतर्गत आवश्यक भी है. इसके अंतर्गत सी एस आर के काम-काज के लिए कंपनी के लाभांश का 3% भाग आरक्षित रखना होगा.

निगम अभिशासन :

नैगमिक अभिशासन का अर्थ है उत्तम प्रबंधन का निर्वहन, कानून का अनुपालन और नैतिक मूल्यों का पालन करना ताकि कंपनी के प्रमुख उद्देश्य शेयरधारकों की मूल्य-वृद्धि एवं सामाजिक दायित्व का निर्वाह हो सके.

आपकी कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था कायम है. कंपनी ने निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए संव्यवहार आचरण एवं नैतिक संहिता तैयार की है.

सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के संबंध में डी पी ई द्वारा दि.14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8)/2005-जीएम के तहत ज़ारी दिशा-निर्देशानुसार, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट और कंपनी में नैगमिक अभिशासन की स्थिति पर कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा दिया गया नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है.

आई ई एम की नियुक्ति :

पी एस यू में पारदर्शिता बढ़ाने के क्रम में मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा दि.13 अप्रैल, 2010 से ले. ज. अरविंद महाजन पी वी एस एम, वी एस एम, वी एस एम व बार (नि.) तथा श्री अशोक नारायण, आई ए एस (नि.) आई ई एम के रूप में नियुक्त किये गये हैं. आपकी कंपनी ने सत्यनिष्ठा संबंधी समझौता भी तैयार किया है जो जुलाई माह में निदेशक मंडल के सामने अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और इसके कार्यान्वयन पर ये दोनों ही आई ई एम नज़र रखेंगे.

स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर्स के साथ इंटीग्रिटी पॅक्ट का मसौदा तैयार करने के लिए नियमित अन्तराल पर बैठकें हुईं

चुनौतियाँ और अवसर :

आपकी कंपनी प्राप्त आदेशों तथा वचनबद्धता की पूर्ति के लिए आवश्यक क्षमता में वृद्धि करने के लिए पूरी तरह तैयार है. विगत वर्षों की तुलना में आनेवाले वर्षों में बनाए जानेवाले उत्पादों

की संख्या अधिक होगी. ऐसा करने के लिए स्रोतों को संगठित करने की आवश्यकता है ताकि अपेक्षित उत्पादकता का स्तर प्राप्त किया जा सके.

इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी उत्पादन प्रकार्यों को ई आर पी से पूरी तरह जोड़ दिया जाएगा. घटकों की विनिर्माण-स्थिति पर लगातार नज़र रखने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम प्रयोग किया जा रहा है. इस सिस्टम का विस्तार उत्पादन परियोजनाओं के लिए भी किया गया है. ऐसा किये जाने से उत्पादन स्थिति पर नज़दीक से नज़र रखी जा सक रही है जिससे उत्पादन-प्रक्रिया के मध्य सुधार के लिए प्रभावी रूप से निर्णय लेना सुलभ हो पाया है.

भविष्य परिदृश्य :

भारतीय रक्षा उद्योग विकास के वृहत् अवसरों सहित महत्वपूर्ण और विकासकारी बदलाव के दौर से गुज़र रहा है. आपकी कंपनी के पास फिलहाल लगभग ₹ 20,000 करोड़ के कार्य-आदेश हैं. कंपनी के लिए आनेवाला समय चुनौती भरा है. इसमें विशेषकर एटीजीएम और सैम परियोजना की सुपुर्दगी समय से पूरी करना हमारी प्राथमिकता है.

आंतरिक डी अण्ड ई पर ध्यान केंद्रित :

कंपनी के भविष्य के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास अनिवार्य हैं. वर्तमान हालात में, सामरिक अस्वीकार्यता एवं बहुत अधिक कीमतों के कारण नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाना बहुत कठिन होता जा रहा है. अतः इस दृष्टि से अनुसंधान एवं विकास के आधार को मज़बूत बनाने के लिए निधियों का आबंटन बढ़ा दिया गया है, अनुसंधान का संरचनात्मक ढांचा मज़बूत किया जा रहा है तथा आई आई टी में कैंपस इंटरव्यू कर युवाओं को लिये जाने जैसे कार्य किये जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त आंतरिक रूप से तथा सहभागी अनुसंधान एवं विकास के द्वारा नये उत्पाद, प्रणालियाँ और उपकरण बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

निर्यात :

निर्यात हासिल करने के लिए कंपनी नियमित रूप से विदेशी ग्राहकों से बातचीत कर रही है. प्रतिसंतुलन कार्यान्वयन से भी हमारे निर्यात लक्ष्य हासिल करने के प्रमुख अवसर सुलभ होते हैं. प्रतिसंतुलन से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए हम यूरोप और मध्य एशिया की प्रमुख वांतरिक्ष कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं.

संव्यवहार संधि :

कंपनी को बहुत ही अभिनव प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है. आपकी कंपनी के पास देशीय उत्पाद के साथ-साथ रूस और यूरोप के सहयोग से बने उत्पाद आ रहे हैं. कंपनी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा माल, प्रणालियाँ और घटक आयात करती है. निर्धारित दर पर सामग्री की समयबद्ध सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने दीर्घावधि संव्यवहार करार करने की नीति अपनायी है. देशीकृत सामग्री के विकास के लिए सामरिक मैत्री/करार स्थापित करते हुए तकनोलॉजी के अंतरण/विलयन के लिए कंपनी अवसरों का लगातार अन्वेषण कर रही है.

संगठनात्मक विकास :

इस वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रयोक्ताओं की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंचनबाग तथा भानूर समूह की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने के लिए योजनाएँ लागू की हैं. विशाखापट्टणम की उत्पादन इकाई निर्माणाधीन है और यह अगले वर्ष से काम करने लगेगी. इसी प्रकार, एस आर सैम / एल आर सैम / एम आर सैम जैसे प्रक्रियाधीन नये उत्पादों के विनिर्माण के नवीन सयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि-अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है.

निदेशक मण्डल में परिवर्तन :

दि.18 अक्तूबर, 2010 से श्रीमती रश्मि वर्मा, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) को श्री टी रामचंद्रु, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) के स्थान पर अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. दि.08 मार्च, 2011 से मैंगनीज़

ओर (ई) लि. के पूर्व सी एम डी श्री के एल महरोत्रा और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं निदेशक श्री आर के मिश्र को कंपनी के निदेशक-मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. दि.27 अप्रैल, 2011 से श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) को श्रीमती रश्मि वर्मा, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) के स्थान पर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. दि.15 जुलाई, 2011 से श्री आर जी विश्वनाथन, एडीडीआई एफए तथा संयुक्त सचिव (डी आर डी ओ) को श्री जतिंदरबीर सिंह के स्थान पर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. दि.30 जून, 2011 को अधिवर्षिता प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुए श्री एन विनोद कुमार के स्थान पर श्री एस वी सुब्बाराव, महाप्रबंधक (वित्त) को दि.01 जुलाई, 2011 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है.

मानव संसाधन विकास :

कंपनी की ताक़त कुशल और प्रशिक्षित मानव-शक्ति पर निर्भर करती है. कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान के परिवर्द्धन के लिए प्रशिक्षण और पुन:प्रशिक्षण पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.

नेवल उच्च कमांड कोर्स-23 के अधिकारी दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को बीडीएल दौरे पर

आउट सोर्सिंग के साथ-साथ विचाराधीन और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा भविष्य की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हुए एक क्रमवार ढंग से मानव-शक्ति का तर्कसंगत पुनर्गठन किया जा रहा है.

अन्य पहल :

सामान्य विकास पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा वर्तमान संव्यवहार क्षेत्र में गहन और अखण्ड विकास के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं. भविष्य में विकास और प्रतिस्पर्धी लाभ उठाने के लिए अप्रत्यक्ष एकीकरण नीति अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रक्षा व अन्य संबंधित क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करने को अंतिम रूप देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं.

वेतन संशोधन का प्रभाव :

कंपनी ने विकास को बनाये रखने के लिए ऊपर बताये अनुसार भुनाये जाने वाले अवसरों की पहचान कर ली है और प्रतियोगिता के कारण बिक्री दरों पर पड़ने वाले दबाव से भी अवगत है. इसके अतिरिक्त, सभी स्तरों के अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन-भत्ते भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दि. 01 जनवरी, 2007 से संशोधित किया गया. वेतन बिलों के बढ़ने से कंपनी के राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा अतः कंपनी में विकास के वर्तमान न्यूनतम स्तर को बनाये रखने के कई कदम उठाये जा रहे हैं. आशा है कि वेतन-संशोधन में परिकल्पित परफार्मेंस रिलेटेड पे (पी आर पी) के भुगतान की कार्य-प्रणाली चालू वित्तीय वर्ष में मूर्त रूप ले लेगी.

निष्कर्ष :

मैं, हमारे ग्राहक, संव्यवहार सहभागियों तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विशेषकर रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग व रक्षा सेवाओं सहित तीनों सेनाओं द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ. अमूल्य परामर्श और सहयोग के लिए मैं कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक मेसर्स डी वी रमण राव अण्ड कंपनी तथा वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और लेखा परीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ.

हमारे अधिकारी और कर्मचारियों की हर स्तर पर प्रतिबद्धता व समर्पण इस कंपनी की ताकत रही है. हमें इसे और भी बढ़ाने के लगातार प्रयास करते रहना चाहिए ताकि भविष्य की चुनौतियों और विकास की गति को बनाये रखा जा सके. अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी कंपनी भविष्य की सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है तथा इसकी दृष्टि सकारात्मक और भविष्य उज्ज्वल होगा.

शुभकामनाओं सहित,

रवि खेतरपाल

मेजर जनरल रवि खेतरपाल, विसेमे (निवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय
कंचनबाग पोस्ट
हैदराबाद - 500 058

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरधारकों की इकतालीसवीं वार्षिक महासभा सोमवार, दिनांक 19 सितंबर, 2011 को 17.00 बजे निम्नांकित कार्य संव्यवहृत करने के लिये कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, कंचनबाग, हैदराबाद - 500 058 में होगी :

सामान्य संव्यवहार के रूप में :

(1) 31 मार्च, 2011 के तुलन-पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खातों व नक़दी प्राप्ति विवरण और निदेशकों की तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार कर, स्वीकृत करना.

(2) वर्ष 31 मार्च, 2011 की समाप्ति पर ईक्विटी शेयरों पर यदि कोई लाभांश हो तो, घोषित करना.

निदेशक मंडल के आदेश से,

(एच वी मूर्ति)
कंपनी सचिव

स्थान : हैदराबाद,
दिनांक : 22 अगस्त 2011

टिप्पणी : इस सभा में उपस्थित रहने तथा मतदान करने के लिए अहूर्य सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित रहने तथा मतदान करने के लिए किसी परोक्षी को नियुक्त करने के लिए अहूर्य हैं और ऐसे परोक्षी इस कंपनी के सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए इस उद्यम के लेखा परीक्षित लेखे के साथ 41वाँ वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है.

2 परिचालन के मुख्य अंश

2.1 कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹ 627.23 करोड़ की तुलना में ₹ 939.10 करोड़ का पण्यावर्त हासिल कर 50% का विकास दर्ज किया. कंपनी के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक यही सर्वाधिक पण्यावर्त है. कंपनी की योजना है कि वर्ष 2011-12 के दौरान 1300 करोड़ रुपये का लक्ष्य पार कर विकास के लिए इसे बनाए रखा जाए.

2.2 वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी की प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार रहीं :

2.2.1 कंपनी ने ए टी जी एम श्रेणी के अंतर्गत ₹ 631.05 करोड़ के लक्ष्य से ₹ 17.04 करोड़ अधिक प्राप्त करते हुए ₹ 648.09 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया.

2.2.2 ज़मीन से हवा में मार करने वाली सैम श्रेणी के अंतर्गत कंपनी ने एक संविदा के तहत ₹ 415 करोड़ की आरंभिक आपूर्ति की है. इस संविदा के तहत शेष आपूर्ति तथा ₹ 1,245 करोड़ मूल्य की दूसरी संविदा वर्ष 2011-12 से कार्यान्वित होगी.

3 कार्य-निष्पादन

3.1 वित्तीय मामलों में कंपनी के कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है :

	₹ करोड़ में		% वृद्धि /
	2010-11	2009-10	(अपवृद्धि)
बिक्री मूल्य	939.10	627.23	50%
उत्पादन मूल्य	910.92	631.61	44%
कराधान पूर्व लाभ	79.17	50.63	56%
कराधान बाद लाभ	51.70	33.77	53%
मूल्यवर्द्धन	330.78	193.60	71%

3.2 निम्नांकित विवरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित है :

	₹ करोड़ में		% वृद्धि /
	2010-11	2009-10	(अपवृद्धि)
सकल निरुद्ध	386.11	357.48	8%
मूल्यह्रास प्रारक्षण	254.26	228.84	11%
निवल निरुद्ध	131.85	128.64	2%
कार्यगत पूँजी	361.21	360.44	-
नियोजित पूँजी	502.34	503.66	-
निवल मालियत	551.85	526.88	5%

4 लाभांश एवं सामान्य प्रारक्षण में अंतरण

4.1 आपके निदेशकों ने ₹ 115.00 करोड़ की प्रदत्त पूँजी पर 20% की दर से ₹ 23.00 करोड़ लाभांश के

दिनांक 19 अक्तूबर, 2011 को वित्तीय वर्ष 2009 -10 के लिए माननीय रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी को लाभांश चैक प्रदान करते हुए सी एम डी.

भुगतान की सहर्ष सिफारिश की है. निदेशक-गण यह भी सिफारिश करता है कि ₹ 25.00 करोड़ की राशि सामान्य प्रारक्षण (जनरल रिज़र्व) में अंतरित की जाए.

5 वित्त

5.1 उद्यम की कुल प्रदत्त पूँजी 115.00 करोड़ रुपये रही. कुल स्थायी परिसंपत्तियाँ (विशेष औज़ार और उपकरण के अलावा) 386.11 करोड़ रुपये की रहीं जो वर्ष 2009-10 की तुलना में ₹ 28.63 करोड़ अधिक है.

6 अनुबंध ज्ञापन प्रलेख की दृष्टि से कार्यनिष्पादन

6.1 वर्ष 2009-10 में आपके उद्यम ने कार्य-निष्पादन में "बहुत अच्छा" दर्जा प्राप्त किया. वर्ष 2010-11 में भी इसके "बहुत अच्छा" बने रहने की उम्मीद है.

7 लागत नियंत्रण

7.1 लागत में कमी लाये जाने की पहचान एक प्रमुख कार्य के रूप में की गयी है. तदनुसार, इस कार्य के लिए एक उच्च समिति निदेशक (उत्पादन) की अध्यक्षता में और प्रभागीय समितियों का गठन इस पर निगरानी रखने तथा लागत में कमी लाने के उपायों पर निगरानी रखने के लिए किया गया. लागत नियंत्रण में प्रगति की समीक्षा करते ये समितियाँ नियमित अन्तराल पर बैठकें करती हैं.

8 मितव्ययता

8.1 कच्चे माल की उपलब्धता, चालू कार्य तथा अतिरिक्त पुर्जे इष्टतम स्तर पर बनाये रखे गये हैं. ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर न्यूनतम रखा गया है.

9 आधुनिकीकरण एवं उन्नयन

9.1 ए टी जी एम की क्षमताएँ बढ़ाई जा रही हैं. साथ ही, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और संयंत्र एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण/उन्नयन जारी है. प्रत्याशित बड़ी परियोजनाओं/आदेशों को ध्यान में रखते हुए भूमि खरीदने की प्रक्रिया ज़ारी है.

9.2 ई-प्रोक्यूरमेंट तथा ई-बिलिंग कार्यान्वित किये जाने से संगठन को बहुत लाभ हुआ. संगठन की आगे वर्ष इस दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर प्रयास कर और अधिक लाभ प्राप्त करने की योजना है. वर्ष 2011-13 के दौरान सभी प्रभागों में उद्यम संसाधन योजना (ई आर पी) के कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा गया है.

9.3 बदल रही आवश्यकताओं के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया गया. सुरक्षा के संबंध में वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न तरह के खतरे रोकने के लिए आधुनिकीकरण की योजना है.

10 विदेशी मुद्रा : अर्जन तथा व्यय

वर्ष के दौरान ₹ 1.51 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी तथा ₹ 263.19 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ.

11 प्रदर्शनियाँ

11.1 बीडीएल ने निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया :

- दि.14 से 27 नवंबर, 2010 तक नई दिल्ली में आयोजित - भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2010.
- दि. 9 से 13 फरवरी, 2011 तक बेंगलूरु में एरो इंडिया-2011.

माननीय रक्षा राज्यमंत्री श्री एम एम पल्लम राजू, डेफ+कांट्रॉक्ट इंडिया-2011 प्रदर्शनी के दौरान बीडीएल स्टाल का दौरा करते हुए

श्री आर के सिंह, सचिव (रक्षा उत्पादन) एरो इंडिया-2011 के दौरान बीडीएल स्टाल देखते हुए

श्रीमती रश्मि वर्मा, संयुक्त सचिव (एम एस) एरो इंडिया-2011 के दौरान बी डी एल स्टाल का दौरा करते हुए

11.2 इन प्रदर्शनियों में बीडीएल के अनेक उत्पाद दर्शाए गए. इनमें भारत तथा विदेशों से कई उच्च पदाधिकारियों ने बीडीएल स्टॉल का संदर्शन किया.

12 निदेशक मंडल

12.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की आठ बैठकें हुईं तथा वर्ष 2009-10 की वार्षिक आम सभा 03 सितंबर, 2010 को संपन्न हुई.

12.2 श्रीमती रश्मि वर्मा, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) को दि.18 अक्तूबर, 2010 से श्री टी रामचंद्रू, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) की जगह अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. बोर्ड ने कंपनी के निदेशक-मण्डल में अपने सेवा-काल के दौरान इनके द्वारा दी गई प्रशंसित सेवाएँ अभिलिखित की. मैंगनीज़ ओर (इं) लि. के पूर्व सी एम डी श्री के एल महरोत्रा और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं निदेशक प्रो.आर के मिश्र को दि.08 मार्च, 2011 से कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव (एम एस) को श्रीमती रश्मि वर्मा, संयुक्त सचिव (एम एस) के स्थान पर दि.27 अप्रैल, 2011 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. बोर्ड ने इनके द्वारा अपने छ: महीने के सेवाकाल के दौरान कंपनी के निदेशक-मण्डल में दी गई प्रशंसित सेवाएँ अभिलिखित की. श्री आर जी विश्वनाथन, अपर वित्त सलाहकार (डी आर डी ओ) तथा संयुक्त सचिव को श्री जतिंदरबीर सिंह संयुक्त सचिव एवं ए एम (एल एस) के स्थान पर दि.15 जून, 2011 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. श्री एस वी सुब्बाराव,

महाप्रबंधक (वित्त) को दि. 30 जून, 2011 को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए श्री एन विनोद कुमार, निदेशक (वित्त) के स्थान पर दि. 01 जुलाई, 2011 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है.

13 मानव संसाधन विकास

13.1 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान उद्यम द्वारा स्थापित प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान ने कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए कौशल/ ज्ञान/अभिवृत्ति विकास संबंधी विभिन्न आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये.

13.2 281 कार्यपालकों को बाह्य कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाया गया जिनमें विज्ञान एवं अनुसंधान से संबंधित विज्ञान प्रशासन और अनुसंधान प्रबंधन, प्रौद्योगिकी विकास के कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी जागरूकता, औद्योगिक घटकों की असफलता का विश्लेषण : माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, सॉलिड रॉकेट प्रोपलेंट्स, सहस्राब्दि में विमानन (आर सी एम ए) इत्यादि शामिल हैं. कौशल विकास के कार्यक्रम जैसे उत्कृष्टता विकास, मेटल कटिंग और प्रतिभा निर्माण/विकास जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

13.3 इसी प्रकार, सी वी ओ के लिए सतर्कता कार्यक्रम, ए से ज़ेड सतर्कता, कंपनी बिल पर संगोष्ठी, उन्नत, वेब अनुप्रयोग, क्रिप्टोग्राफी के बुनियादी सिद्धांत, डॉटाबेस और यूनिक्स का प्रयोग, वित्तीय धोखे और साइबर क्राइम जैसे ज्ञानोन्मुख कार्यक्रम आयोजित किये गये. इसी प्रकार, अभिवृत्ति संबंधी कार्यक्रम जैसे व्यवहार आधारित संरक्षा, लेन-देन विश्लेषण और औद्योगिक संरक्षा आदि आयोजित किये गये. इनके अतिरिक्त आधुनिक विकास-स्थिति से अवगत रहने के लिए श्रम कानून (संशोधन), कर्मचारी एवं नियोजक संबंध, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व, ठेके मज़दूर नवीनतम निर्णय जैसे कार्यक्रम आयोजित किये गये.

13.4 156 कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों को 'व्यवहार आधारित संरक्षा', 'व्यक्तित्व विकास', 'औद्योगिक संबंध और ट्रेड यूनियनवाद', 'प्रेस टूल तकनोलॉजी', 'सामग्री परीक्षण और ऊष्मा उपचार', 'ऑटो कैड', 'प्रोन्नत वेल्डिंग तकनोलॉजी', 'जीरो डिफेक्ट सोल्डरिंग' आदि कौशल-विकास, ज्ञान-उन्नयन और अभिवृत्ति-विकास संबंधी बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया.

13.5 624 कार्यपालक और 433 कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों को कौशल-विकास, ज्ञान के प्रोन्नयन और सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से आंतरिक रूप से प्रशिक्षण दिया गया. इसके अंतर्गत कार्यपालकों के लिए परियोजना प्रबंधन, आई एफ आर एस, प्रबंधन कौशल और निर्णायकता, टीम बिल्डिंग, सिक्स सिग्मा, प्रबंधकीय प्रभाविता का मूल्यांकन तथा कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए सामान्य विकास, पर्यावरण एवं ग्लोबल वार्मिंग, प्रक्षेपास्त्र जागरूकता, अग्नि संरक्षा, जीने की कला, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे कार्यक्रम आयोजित किये गये.

13.6 उपर्युक्त के अलावा, ब्रह्म कुमारी समाज, भारतीय पिरामिड आध्यात्मिक समाज के माध्यम से मानसिक व शारीरिक तनाव से मुक्ति जैसे कार्यक्रम और प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज, हैदराबाद के माध्यम से आई एम एम विभाग के सभी 59 कार्यपालकों के लिए

एकीकृत सामग्री प्रबंधन, आपूर्ति-क्रम और औद्योगिक तर्क-गणित विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये. उत्पादन कार्मिक के लिए सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद द्वारा विनिर्माण उत्कृष्टता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इनके अलावा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह/माह समारोह, महिला दिवस समारोह जैसे अवसरों पर ख्यातिप्राप्त विद्वानों व विशेषज्ञों द्वारा विशेष व्याख्यान आयोजित किये गये.

14 औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण

14.1 वर्ष के दौरान समता और मैत्री पूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने में सभी वर्ग के कर्मचारियों तथा मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों व अन्य ट्रेड यूनियन और संस्थाओं का लगातार सहयोग व समर्थन मिलता रहा जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अधिकारी संगठन शामिल हैं. कार्यशाला एवं संयंत्र स्तरीय समितियों तथा अन्य विधिक समितियों जैसे कार्यकारिणी समिति, संरक्षा समिति, कैण्टीन समिति तथा कल्याण समितियों ने मिलजुल कर कार्यस्थल कल्याण तथा अनुशासन के लिए कार्य किया.

14.2 10 वर्ष के लिए वेतन संशोधन, 4 वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन योजना, 3 वर्ष के लिए पी एल ए आई के समझौते ज्ञापन पर मान्यता प्राप्त यूनियन बीडीएलईटीयूसी (आई एन टी यू सी) के साथ हस्ताक्षर किये गये. परिणाम स्वरूप कंपनी में अच्छा औद्योगिक वातावरण बना रहे तथा वर्ष के दौरान उच्च उत्पादकता सुनिश्चित हो सके. कंपनी ने दि. 16 जुलाई, 2011 को वार्षिकोत्सव बड़ी धूम-धाम से मनाया. संयोग से इसी वर्ष कंपनी ने अपनी स्थापना के 41 वर्ष भी पूरे किए हैं.

14.3 सांविधिक कल्याण प्रावधानों का अनुपालन ध्यानपूर्वक किया जा रहा है. कंपनी ने समझौता ज्ञापन की नई वेतन नीति के तहत गैर-सांविधिक कल्याण सुविधाएँ जैसे वित्त पोषित परिवहन तथा विद्यालय शुल्क-प्रतिपूर्ति, कैण्टीन भत्ता आदि प्रदान कीं. कंपनी, बीडीएल चिकित्सा नियमों के तहत कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रख रही है. सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके परिजनों की चिकित्सा-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिकित्सा बीमा योजना प्रवृत है.

15 निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण (डीआरएस)

15.1 1956 में संशोधित कंपनी अधिनियम की धारा 217 (2एए) के अनुसार निदेशकों का कथन है कि :

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुसरण निर्गत सामग्री के उचित स्पष्टीकरण सहित किया गया है तथा इससे हटकर कुछ भी नहीं है.

(ii) चयित लेखानीति का पालन नियमित रूप से किया गया है तथा इस आधार पर लिये गये निर्णय एवं प्राक्कलन उचित हैं. इनसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के वास्तविक और स्पष्ट कार्य-पद्धति दृष्टिगोचर होती है तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ-हानि भी परिलक्षित होती है.

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के संशोधनों के प्रावधानानुसार लेखा अभिलेखों के उचित तथा पर्याप्त रखरखाव में सावधानी बरती गयी है ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोका-धड़ी और अन्य अनियमितताओं से बचाया जा सके.

(iv) वार्षिक लेखे चालू संबद्ध आधारों पर तैयार किये गये हैं.

16 विदेश यात्राएँ

16.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा संव्यवहार यात्राओं के संबंध में विदेशी यात्राओं पर ₹ 61.39 लाख खर्च किये.

17 संरक्षा

17.1 संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण बीडीएल में बनाये रखा गया है. बीडीएल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो निगम-समितियाँ, औद्योगिक संरक्षा समिति जो सांविधिक है और विस्फोटक संरक्षा समिति कार्यरत हैं. सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण नियंत्रित करने के लिए नियमित अंतराल पर संरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं. विस्फोटक सुरक्षा के लिए उद्योग अधिनियम 1948 का अनुपालन करते हुए तथा एस टी ई सी विनियमों का कड़ा पालन करते हुए कार्य किये जाते हैं. जोख़िम भरे क्षेत्रों में काम करनेवाले कर्मचारियों के लिए योग्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित स्वास्थ्य परीक्षा करवायी जाती है. कर्मचारियों में संरक्षा-भावना जागरूक करने तथा सुरक्षित कार्य-परिसर बनाने के लिए मानव संसाधन विकास द्वारा एन एस सी, सी एल आई, आर एल आई, सी एफ ई ई एस के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं. मार्च माह में उत्साह से संरक्षा सप्ताह/माह का आयोजन किया जाता है. संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएँ तथा कार्यक्रम आयोजित कर संरक्षा में कर्मचारियों की रुचि बढ़ाने के लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं. अनुपालन किये जानेवाले दिशा-निर्देश अद्यतन करने के लिए संरक्षा विभाग फैक्ट्री निरीक्षक (आं.प्र), आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी एफ ई ई एस, नई दिल्ली से निरंतर संपर्क बनाए रखता है. अग्नि-शमन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए फायर के मॉक ड्रिल भी आयोजित किये जाते हैं.

दिनांक 4 से 29 मार्च, 2011 तक उद्यम में 40वाँ राष्ट्रीय संरक्षा दिवस समारोह मनाया गया

18 सुरक्षा

18.1 कंचनबाग तथा भानूर, इन दोनों स्थानों में सुरक्षा तथा अग्नि की रोकथाम व्यवस्था केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा तैनात कर दी गई. सुरक्षा कड़ी करने के लिए नियमित रूप से प्रबंधन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा समीक्षा की जाती है. स्थानीय

पुलिस तथा सिविल प्राधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं तथा कंपनी इस वर्ष के दौरान अपराध-मुक्त रही.

18.2 सुरक्षा सप्ताह/फायर सप्ताह के दौरान सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं. कर्मचारियों को समय-समय पर होने वाले सुरक्षा खतरों एवं आग लगने पर ली जानेवाली सावधानियों से आगाह करवाया जाता है. कंपनी की सुरक्षा आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करने के लिए आई बी के दिशा-निर्देश कार्यान्वित किये जाते हैं.

18.3 सुरक्षा चौकसी के लिए कंप्यूटर फोटो-पास, सी सी टी वी कैमेरे, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, एक्स-रे बैगेज स्कैनर का उपयोग किया जाता है. प्रत्यक्ष सुरक्षा उपायों के सशक्त बेहतर नियंत्रण के लिए सुरक्षा बैरिकेड, बूम बैरियर, मोर्चे आदि का प्रावधान किया गया है. प्रवेश एवं निकास के लिए बायोमेट्रिक एक्सस कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है.

19 कार्मिक

19.1 31 मार्च, 2011 तक कंपनी में कार्मिकों की संख्या 2897 रही (अस्थाई रूप से नियुक्त किये गये 245 कर्मचारी इसके अतिरिक्त हैं) जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3 कर्मचारियों की बढ़ोतरी हुई है. कुल कर्मचारियों में 104 भूतपूर्व सैनिक और 518 अनुसूचित जाति तथा 180 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं. कर्मचारी वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 18.60% और 5.23% है जबकि अधिकारी वर्ग में यह प्रतिशत क्रमशः 15.50% और 9.57% है.

19.2 31 मार्च, 2011 तक कंपनी की विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार रहा :

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या					
	कुल संख्या		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11	31 मार्च 10	31 मार्च 11
ग्रुप-ए	521	511	84	83	46	50
ग्रुप-बी	167	147	27	19	11	13
ग्रुप-सी	1917	1885	337	324	96	96
ग्रुप-डी	289	354	89	92	13	21
कुल	2894	2897	537	518	166	180

टिप्णी : उपर्युक्त अंकों में अस्थाई तौर पर भर्ती हुए 245 कर्मचारी शामिल नहीं हैं.

19.3 वर्ष 2010-11 के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भर्ती निम्न प्रकार रही :

(कर्मचारियों की संख्या)

पदों का वर्गीकरण	कुल विमोचित रिक्तियाँ	कुल भर्ती	पदों का आरक्षण (कालम 2 में से)		वर्ष 2010-11 में की गयी भर्ती	
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्रुप-ए	10	10	02	03	02	03
ग्रुप-बी	04	04	-	04	-	04
ग्रुप-सी	20	20	02	0	02	0
ग्रुप-डी	67	67	05	08	05	08
कुल	101	101	9	15	9	15

टिप्णी : उपर्युक्त अंकों में अस्थाई तौर पर भर्ती हुए 245 कर्मचारी शामिल नहीं हैं जिनमें से 60 अ.जा. के और 18 अ.ज.जा. के हैं.

20 महिलाओं का नियोजन

20.1 रक्षा मंत्रालय के दि.27 अगस्त, 1999 के पत्र सं.39 (6)/99/डी (बी एण्ड सी) द्वारा दिए निर्देशानुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के वार्षिक विवरण 1995-96 की संख्या 51 के परिच्छेद (ii) (ए) की सिफारिशों के अनुसार महिला नियोजन की स्थिति (प्रतिशत) निम्नप्रकार है :

I. कार्यपालक : (कर्मचारियों की संख्या)

ग्रेड	कुल	महिलाएँ	प्रतिशत
I	147	24	16.33%
II	61	5	8.19%
III	55	9	16.36%
IV	139	14	10.07%
V	134	3	2.24%
VI	79	1	1.27%
VII	28	0	0%
VIII	9	0	0%
IX	2	0	0%
अनुसूची "सी"	3	0	0%
अनुसूची "बी"	1	0	0%
कुल	658	56	8.51%

II. कार्यपालकेतर : (कर्मचारियों की संख्या)

ग्रेड	कुल	महिलाएँ	प्रतिशत
ग्रुप-1	155	13	8.38%
ग्रुप-2	279	54	19.35%
ग्रुप-3	90	16	17.77%
ग्रुप-4	198	31	15.66%
ग्रुप-5	46	6	13.04%
ग्रुप-6	144	8	5.56%
ग्रुप-7	20	0	0%
ग्रुप-8	198	6	3.03%
ग्रुप-9	140	17	12.14%
ग्रुप-10	969	73	7.53%
कुल	2239	224	10.00%

टिप्पणी : उपर्युक्त अंकों में अस्थाई तौर पर भर्ती हुए 245 कर्मचारी शामिल नहीं हैं जिनमें से 26 महिला कर्मचारी हैं.

21 विकलांग कर्मचारी

21.1 हमारे उद्यम में 9 अपंग कार्यपालक तथा 78 अपंग कार्यपालकेतर कर्मचारी (अस्थाई तौर पर भर्ती हुए 10 कर्मचारी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं.) अपंग कर्मचारियों का प्रतिशत 3.00% है.

22 कर्मचारी विवरण

21.2 कंपनी (कर्मचारी विवरण) नियमावली 1975 के साथ पाठ्य कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2-ए) के अनुसार आवश्यक कर्मचारियों की जानकारी शून्य है.

23 पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण

पॉलिथिन एवं प्लास्टिक का प्रयोग रोकने पर दिनांक 15 फरवरी को बीडीएल भानूर में एक रैली का आयोजन किया गया

23.1 कंपनी हरा-भरा वातावरण बनाए रखते हुए पर्यावरण के सभी पहलुओं की दृष्टि से लगातार सुधार कर रही है. कंपनी में हरा-भरा माहोल बनाये रखे जाने से पर्यावरण में सभी दृष्टियों से लगातार बेहतरीन हो रही

है. अशुद्ध जल को शुद्ध कर अपशेष प्रबंधन, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, फूल लगने वाले वृक्ष तथा बागवानी की गई.

24 प्रौद्योगिकी संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास

24.1 प्रौद्योगिकी संरक्षण

(i) इन्वार

कंपनी में देशीकरण का कार्य चल रहा है जिसके अंतर्गत थिन फिल्म हाइब्रड प्रौद्योगिकी, एचएमएक्स-आधारित विस्फोटक सम्मिश्रण का विनिर्माण और फोटो डयोड्स, लेन्स, फिल्टर्स जैसे चाक्षुष उपकरण इत्यादि नवीन तकनोलॉजी परिवेष्टित हैं.

(ii) कांकूर्स-एम

देशीकरण कार्यक्रम में अपसामान्य घटक शामिल हैं, जो मुख्य उपकरण विनिर्माता द्वारा दी गई प्रौद्योगिकी अंतरण का भाग नहीं है. इस प्रकार अपने तौर पर समांतर देशीकृत सामग्री की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की गई. इन देशीकृत भागों से बने कांकूर्स-एम प्रक्षेपास्त्र प्रणाली की सभी उप-प्रणालियों की अभिपुष्टि करते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की गई. ऐसा किए जाने से ओ ई एम पर निर्भरता कम होती और मिसाइल उत्पादन की लागत में कमी आती है.

24.2 नवीकरणीय ऊर्जा विकास

ऊर्जा संरक्षण पर कंपनी निरंतर रूप से विशेष ध्यान दे रही है. ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनाये गये कुछ कदम इस प्रकार हैं :

- भानूर इकाई की कैण्टीन में इलेक्ट्रिक गीज़र की जगह सोलार वाटर हीटर की व्यवस्था.
- विशाखापट्टणम इकाई में संभावित तौर पर सितंबर, 2011 तक शुरू होनेवाली कैण्टीन के लिए सोलार वाटर हीटर तथा सोलार कुकिंग सिस्टम की व्यवस्था.
- तीसरी पीढ़ी के प्रक्षेपास्त्र और एम आर सैम उत्पादन के लिए बनने वाली नई इकाइयों/प्रभागों में सोलार वाटर हीटिंग और सोलार कुकिंग की व्यवस्था.
- ऊर्जा और पानी की बचत के लिए परंपरागत रेसीप्रोकेशन वाटर कूल्ड एयर कंप्रेसर की जगह स्क्रू टाइप कंप्रेसर का प्रतिष्ठापन.

हरित भवन

विशाखापट्टणम इकाई के प्रशासन भवन की 'हरित भवन' के रूप में पहचान की गई तथा इस भवन का प्रारूप सिल्वर लेड श्रेणी में पंजीकृत किया गया है. इस भवन का निर्माण आरंभ हो चुका है.

तृतीय पीढ़ी के प्रक्षेपास्त्र और VSHORAD प्रक्षेपास्त्र उत्पादन की स्थापना के दौरान भी इसी हरित भवन की संकल्पना कार्यान्वित की जाएगी.

25 गुणता

25.1 बीडीएल एकल प्रयुक्त (सिंगल शॉट डिवाईस) प्रकृति के उत्पाद तैयार करता है जिसके लिए कड़े गुणता मानकों के साथ-साथ गुणता प्रणाली की ध्यानपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी ने सभी प्रमुख उत्पादन प्रभागों में आइएसओ 9001 स्तर के अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू कर रखे हैं.

25.2 कंपनी ने अपने सभी 6 प्रभागों के लिए आई एस ओ 9001 प्रमाणन का 2008 संस्करण में प्रोन्नत किया है, जिनमें से 3 प्रमाणन पिछले वर्ष ही प्राप्त किए गए.

25.3 वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी ने अनुबंध ज्ञापन प्रलेख संबंधी निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किए :

- सीपी-आई जी एम पी प्रभाग के लिए आई एस ओ **9001 : 2008 का प्रमाणन.**
- **अभिकल्पन एवं अभियांत्रिकी प्रभाग, इलेक्ट्रानिकी प्रभाग और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग के लिए आई एस ओ 9001 से 2008 प्रमाणन में प्रोन्नति.**

25.4 गुणता के क्षेत्र में कंपनी की संकल्पबद्धता के परिणामस्वरूप अस्वीकार्यता और पुनःकार्य कम हुए, उत्पादों की गुणता और सेवाओं में वृद्धि हुई व ग्राहक संतुष्टि में बढ़ोतरी हुई है. कंपनी ने इस वर्ष के दौरान सैम प्रभाग के लिए आई एस ओ प्रमाणन प्राप्त करने की योजना बनाई है.

26 निर्यात

बीडीएल ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹1.38 करोड़ के निर्यात आदेश कार्यान्वित किये हैं.

27 भावी योजना

27.1 पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्रय में 50% की वृद्धि हुई और इसके भविष्य में और भी बढ़ने की संभावना है. वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित विक्रय-लक्ष्य, वर्ष 2010-11 के असली विक्रय से 45 प्रतिशत बढ़कर है.

27.2 ₹ 20,000 करोड़ के प्राप्त कार्य-आदेशों से कंपनी की स्थिति सुदृढ़ है तथा निकट भविष्य में इसमें भी भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है.

28 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता

28.1 कंपनी ने सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों तथा प्रणालियों के वित्तीय औचित्य के सभी मापदण्डों को बेहतर बनाने की व्यवस्था की है. बाह्य लेखापरीक्षक फर्म को इनकी पर्याप्तता तथा रिपोर्ट को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है. बीडीएल के आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग तथा आन्तरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखापरीक्षक समिति के समक्ष समीक्षा एवं सलाह के लिए प्रस्तुत किया गया. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की समीक्षा कर रिपोर्ट दी गई है. सरकारी कंपनी होने के नाते बीडीएल के लिए सरकारी लेखा परीक्षा आवश्यक

वर्ष 2009-10 के लिए बीडीएल को न रा भा का स (उपक्रम) द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए टॉलिक राजभाषा शील्ड सम्मान लगातार 9वीं बार प्राप्त हुआ

29 राजभाषा हिंदी का प्रयोग

29.1 राजभाषा अधिनियम 1963 और इनके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियमों का समुचित रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है. राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए गोष्ठियाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं.

29.2 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की बैठकों में सीएमडी, बीडीएल नियमित रूप से भाग लेते हैं. बड़े उपक्रमों में बीडीएल को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन

के लिए वर्ष 2009-10 के लिए प्रथम श्रेणी की राजभाषा शील्ड लगातार 9 वीं बार दी गई है.

29.3 उद्यम की त्रैमासिक गृह-पत्रिका "डायनामिक समाचार" के 2 संयुक्तांक त्रिभाषी रूप में प्रकाशित कर जारी किए गए. हिन्दी में तैयार उद्यम की वेबसाइट का अद्यतन किया गया.

29.4 दिनांक 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का संचालन पूरी तरह हिन्दी में किया गया. इस अवसर पर मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि.से.मे.(नि.) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने हिन्दी में संबोधित किया.

29.5 हर साल की तरह इस साल भी दिनांक 01 सितंबर से 14 सितंबर, 2010 तक हिन्दी पक्षोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान तीन प्रतियोगिताएँ कंचनबाग और तीन प्रतियोगिताएँ भानूर समूह में आयोजित की गयीं. दोनों जगहों पर पुरस्कार विजेताओं को नक़द पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

29.6 हिन्दी पक्षोत्सव के दौरान संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन अनुसार दिनांक 09.09.2010 को हिन्दी फिल्म "स्वदेश" भी दिखायी गयी.

30 राष्ट्रपति निर्देश का कार्यान्वयन

30.1 कंपनी को डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किये गये बोर्ड स्तर तथा उससे नीचे के अधिकारियों के लिए संशोधित वेतनमान संबंधी संस्वीकृत राष्ट्रपति निर्देश सं.एच-62030/1/0227-डी (बीडीएल), दि.27 अप्रैल, 2009 प्राप्त हुए. तदनुसार, राष्ट्रपति के दिशा-निर्देशन का अनुपालन करते हुए कंपनी ने संशोधित वेतनमान लागू किए हैं.

31 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व

31.1 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कंपनी ने एक गैर-सरकारी संगठन मेसर्स अक्षयपात्रा फाउण्डेशन के माध्यम से घनपुर स्थित ज़िला परिषद हाई स्कूल के 428 बच्चों के लिए मध्याह्न भोज कार्यक्रम प्रायोजित किया. इसके अलावा, प्रबंधन ने विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन वितरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन मेसर्स अक्षयपात्रा फाउण्डेशन को पटानचेरु में स्थित उनके मुख्य रसोई घर से खाना ले जाने के लिए एक वाहन भी प्रदान किया.

दिनांक 31 मई 2011 सी एस आर गतिविधियों के अंतर्गत मध्याह्न भोज कार्यक्रम के लिए अक्षयपात्र फौण्डेशन एन जी ओ को भोजन वितरण गाड़ी दान में दी गयी

31.2 डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार कंपनी की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी नीति वर्ष 2011-12 से कार्यान्वित करने के लिए निदेशक मंडल ने अनुमोदित की है जिससे अनुबंध ज्ञापन प्रलेख की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है.

32 सतर्कता

32.1 दि.25 अक्तूबर से 01 नवंबर तक कंचनबाग एवं भानूर इकाइयों में सतर्कता जागरूकता अवधि बड़े उत्साह के साथ मनायी गयी. इस अवधि का उद्घाटन सी एम डी द्वारा दिलाई गई प्रतिज्ञा के साथ हुआ

दिनांक 25 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2010 तक सतर्कता जागरुकता कालावधि का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री गोपालकृष्ण, आई ए एस (सेवा निवृत्त) ने किया.

जिसका सीधा प्रसारण कंचनबाग एवं भानूर समूह की इकाइयों के सभी प्रभागों में किया गया. इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने व्याख्यान दिये. श्री गोपाल कृष्ण, आई ए एस (नि.) ने दि.25 अक्तूबर, 2010 को सतर्कता जागरूकता पर व्याख्यान दिया. राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क के भूतपूर्व निदेशक श्री के सत्यनारायण ने महान नेताओं की जीवनियों से उदाहरण उद्धृत करते हुए 'सामान्य जागरूकता एवं भ्रष्टाचार विरोधी प्रचार' विषय पर अपने विचार रखे जबकि सहायक सरकारी निरीक्षक (साइबर फोरेन्सिक डिवीज़न) श्री पी कृष्ण शास्त्री ने 'साइबर क्राइम्स' पर जागरूकता पूर्ण प्रस्तुति दी.

32.2 सतर्कता निदान

ए. सतर्कता विभाग की पूर्व सक्रियता के कारण कंपनी को लगभग ₹ 42 लाख की बचत हुई. मजबूत एवं टिकाऊ लैपटॉप की खरीदी के लिए मानदण्डों का पुनर्निर्धारण किया गया, जिसके फलस्वरूप स्पर्धा बढ़ी और बचत हुई.

बी. सतर्कता विभाग की सलाह पर वैश्विक/ओपन निविदाएँ अब सरकारी निविदा वेबसाईट पर पोस्ट की जा रही हैं.

सी. ई-भुगतान कार्यान्वित किया गया हैं. लगभग 95 प्रतिशत भुगतान, ई-भुगतान द्वारा किये जा रहे हैं.

डी. ई-खरीद आदेशों की प्रक्रिया आरंभ की गई है. साथ ही, परीक्षण के तौर पर नियमित ई-रिवर्स नीलामी भी चलाई गई है.

ई. उप प्रबंधकों की भर्ती, सेवानिवृत्ति के बाद संविदा आधार पर नियुक्ति, बिल भुगतान आदि विषयों के संबंध में सलाह दी गईं.

एफ. वार्षिक संपत्ति विवरण का कंप्यूटरीकरण किया गया है.

जी. अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के संबंध में सुझाव दिए गए थे जिनका अनुपालन निर्देशक-नीति के रूप में किया गया था.

33 लेखा-परीक्षा समिति

बेहतर नैगमिक अभिशासन के लिए एक लेखा-परीक्षा समिति का गठन किया गया था. लेखा-कार्य के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान चार बैठकें बुलाई गयीं. गठन के विवरण, विचारार्थ विषय इत्यादि इस रिपोर्ट के साथ 'अनुलग्नक-II' के रूप में संलग्न नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में बताए जाते हैं.

34 निगम अभिशासन :

34.1 नैगमिक अभिशासन का अर्थ है उत्तम प्रबंधन का निर्वहन, कानून का अनुपालन और नैतिक मूल्यों का पालन करना ताकि कंपनी के प्रमुख उद्देश्य शेयर-धारकों की मूल्य-वृद्धि एवं सामाजिक दायित्व का निर्वाह हो सके.

34.2 आपकी कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था कायम है. कंपनी ने निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए संव्यवहार आचरण एवं नैतिक संहिता तैयार की है.

34.3 सी पी एस ए के नैगमिक अभिशासन के संबंध में डी पी ए द्वारा दि.14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8)/2005-जीएम के तहत ज़ारी दिशा-निर्देशानुसार, प्रबंधन ङार्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक-I) और नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट (अनुलग्नक-II), कंपनी में नैगमिक अभिशासन की स्थिति पर कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा दिया गया नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-III) निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न किये गये हैं.

35 लेखापरीक्षक

35.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मेसर्स डी वी रमण राव एण्ड कंपनी, चार्टर्ड ॲकाउण्टण्ट्स, हैदराबाद को वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों के रूप में पुनः नियुक्त किया.

36 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

36.1 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन कंपनी के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की 31 मार्च, 2011 को समाप्त लेखाओं पर टिप्पणी इस रिपोर्ट के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न की गयी है.

37 आभार प्रदर्शन

37.1 निदेशक आपकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान किये गये प्रयासों की प्रशंसा अपने अभिलेखों में अभिलिखित करते हैं. साथ ही, रक्षा उत्पादन विभाग, अन्य केन्द्रीय सरकारी विभाग और प्रयोगशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य सरकार तथा अनुज्ञप्तिकर्ताओं के द्वारा समय-समय पर की गयी सहायता के लिए निदेशकगण आभार व्यक्त करते हैं.

37.2 निदेशक कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स डी वी रमण राव एण्ड कंपनी के प्रति, तथा प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद के प्रति उनके बहुमूल्य परामर्श और सहकार्य के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है.

37.3 कंपनी के निदेशक मण्डल में 2 वर्ष 3 महीने के सेवा-काल के दौरान अपनी अमूल्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए अंशकालिक सरकारी निदेशक श्री जतिंदरबीर सिंह के प्रति तथा सात वर्ष तक निदेशक (वित्त) के पद पर अपनी सेवाएँ देकर 30 जून, 2011 को अधिवर्षिता की प्राप्ति पर सेवानिवृत्त हुए श्री एन विनोद कुमार को निदेशक मण्डल धन्यवाद ज्ञापित करता है.

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 29 जुलाई 2011

मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि.से.मे. (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक-1

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट

1 कंपनी की संरचना एवं विकास

1.1 सन् 1970 में स्थापित भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है. सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक अत्याधुनिक रक्षा उपकरण बनाना कंपनी का मुख्य उद्देश्य है.

1.2 कंपनी, आंतरिक अनुसंधान एवं विकास तथा डीआरडीओ/विख्यात विदेशी सहभागिकर्ताओं से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा नये उत्पाद भी विकसित करती है.

1.3 कंपनी, मिसाइल विनिर्माण की प्रमुख उत्पादन अभिकरण है जो आंतरिक उत्पादों पर अधिक ध्यान देते हुए अंतर्जलास्त्र एवं हवा में मार करने वाले शस्त्र विनिर्माण में स्वयं को विस्तृत किया है. इनके अतिरिक्त, प्रक्षेपास्त्रों की कार्यावधि का विस्तार एवं पुनर्सज्जीकरण की संभाव्यता पर भी कार्य किया जा रहा है. आंतरिक सुरक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बीडीएल अर्ध-सैनिक बल और पुलिस के लिए पिस्टल का विनिर्माण भी कर रहा है.

1.4 इस वर्ष के दौरान कंपनी ने भारतीय थल सेना के दो रेजिमेंट के लिए सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र की आपूर्ति के लिए ₹ 14,180 करोड़ का बड़ा आदेश प्राप्त किया. इस आदेश तथा प्रक्रियागत अन्य आदेशों से भविष्य में कंपनी के टर्नओवर में भारी वृद्धि होगी.

2 ताक़त एवं कमज़ोरियाँ

2.1 ताक़त

2.1.1 प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का ज्ञान रखनेवाली कुशल. व प्रशिक्षित मानव-शक्ति.

2.1.2 प्रक्षेपास्त्र एकीकरण एवं विनिर्माण में 40 वर्ष से अधिक का अनुभव.

2.1.3 पूरी तरह से लैस कैड/कैम केंद्र.

2.1.4 डी आर डी ओ तथा अन्य प्रयोगशालाओं तक. पहुँच.

2.2 कमज़ोरियाँ

2.1.1 डी आर डी ओ परियोजनाओं में लगने वाली दीर्घावधि.

2.1.2 निर्यात पर प्रतिबंध.

2.1.3 एम टी सी आर के अधीन प्रतिबंध.

3 अवसर एवं खतरे

3.1 अवसर

3.1.1 अंतर्राष्ट्रीय सामरिक गठबंधन की साध्यता.

3.1.2 रक्षा बजट आबंटन में हुई वृद्धि से चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं की प्राप्ति.

3.1.3 देशीकृत उत्पादों की प्राथमिकता.

3.2 खतरे

3.2.1 आदेशों की समयपूर्व समाप्ति.

3.2.2 प्रयोक्ता परीक्षण के बाद माँगपत्र नहीं देना.

3.2.3 क्यू आर में परिवर्तन.

3.2.4 प्रौद्योगिकीय अप्रयुक्तता.

4 उत्पादवार कार्यनिष्पादन

4.1 ए टी जी एम.

4.1.1 कांकूर्स-एम.

बीडीएल ने इस वर्ष अपना लक्ष्य पार किया है. ₹ 196.36 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले बीडीएल ने ₹ 200.27 करोड़ की.

4.1.2 इन्वार

बीडीएल ने ₹ 277.20 करोड़ का लक्ष्य पार करते हुए ₹ 318.25 करोड़ की बिक्री का कारोबार किया है.

4.1.3 मिलान 2टी ₹ 157.49 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹ 129.57 करोड़ का कारोबार हुआ.

4.2 आकाश सैम

4.2.1 भारतीय वायुसेना संबंधी आदेश (₹ 415.04 करोड़) ₹13.98 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹ 6.46 करोड़ मूल्य की इलेक्ट्रानिक मिसाइल की बिक्री की गई. शेष लाइव मिसाइल, इलेक्ट्रानिक मिसाइल व डमी मिसाइल की पूर्ति की योजना वर्ष 2011-12 में बनाई गई है.

4.2.2 भारतीय वायुसेना के आदेश (₹ 1245.13 करोड़) बीडीएल ने भारतीय वायुसेना के अतिरिक्त स्क्वाड्रन के लिए आकाश मिसाइल व इससे संबंधित भू-समर्थित उपकरण की आपूर्ति करने बी ई एल से क्रय-आदेश प्राप्त किये.

4.2.3 भारतीय थल सेना (₹ 14180.4606 करोड़) बीडीएल ने भारतीय थल सेना को आकाश सैम की पूर्ति के लिए दि.23 मार्च, 2011 की संविदा संख्या बी/30080/जी एस/डब्ल्यूई-11/डी(पीआरओसी) पर हस्ताक्षर किये.

5 परिदृश्य

5.1 भारत में रक्षा उद्योग महत्वपूर्ण एवं विकासकारी बदलाव से गुजर रहा है जिसमें विकास की अपार संभावनाएँ हैं. फिलहाल कंपनी के पास ₹ 20,000 करोड़ के कार्य-आदेश हैं. कंपनी के सामने आकाश सैम एवं मिलान-2टी, कांकूर्स-एम तथा इन्वार एटीजीएम जैसी बड़ी परियोजनाओं की समय से सुपुर्दगी की चुनौती भरा.

6 जोख़िम एवं चिंताएँ

6.1 डी आर डी ओ परियोजनाओं में लगने वाली दीर्घावधि.

6.2 अभिकल्पक द्वारा विकसित एकल स्रोत पर निर्भरता.

6.3 आदेशों की समय पूर्व समाप्ति.

6.4 निर्यात पर प्रतिबंध.

7 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता

7.1 कंपनी ने सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों तथा प्रणालियों के वित्तीय औचित्य के सभी मानदण्डों को बेहतर बनाने की व्यवस्था की है. इनकी पर्याप्तता तथा रिपोर्ट को सुनिश्चित करने के लिए बाह्य लेखा परीक्षक फर्म को नियुक्त किया गया है. बीडीएल के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग तथा आंतरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखा परीक्षक समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया.

8 ऑपरेशनल कार्य-निष्पादन से संबंधित वित्तीय कार्य-निष्पादन पर चर्चा

8.1 वित्तीय मामलों में कंपनी के कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है :

	₹ करोड़ में		% वृद्धि /
	2010-11	2009-10	(अपवृद्धि)
बिक्री मूल्य	939.10	627.23	50%
उत्पादन मूल्य	910.92	631.61	44%
कराधान पूर्व लाभ	79.17	50.63	56%
कराधान बाद लाभ	51.70	33.77	53%
मूल्यवर्द्धन	330.78	193.60	71%
प्रति कर्मचारी मूल्यवर्द्धन (₹ लाख)	11.42	6.69	71%

8.2 निम्नांकित विवरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित है :

	₹ करोड़ में		% वृद्धि / (अपवृद्धि)
	2010-11	2009-10	
सकल निरुद्ध	386.11	357.48	8%
मूल्य-ह्रास	254.26	228.84	11%
निवल निरुद्ध	131.85	128.64	3%
विशेष उपकरण एवं उपस्कर	9.28	14.58	(36%)
कार्यगत पूँजी	361.21	360.44	-
नियोजित पूँजी	502.34	503.66	-
निवल मालियत उपस्कर	551.85	526.88	5%

9 मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध फ्रंट में नियोजित कर्मचारियों सहित सामग्री विकास

9.1.1 31 मार्च, 2011 तक की बीडीएल मानव- शक्ति :

	कार्यपालकेतर	कार्यपालक	कुल
पुरुष	2015	602	2617
स्त्री	224	56	280
कुल	**2239**	**658**	**2897**
पिछले वर्ष	2206	688	2894

9.1.2 कंपनी के कार्य-निष्पादन में कर्मचारियों की उत्साहवर्द्धक भागीदारिता बढ़ाने के लिए पीआरपी सिद्धांत लागू किया गया है. इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और इस वितीय वर्ष के दौरान प्रयुक्त होने की संभावना है.

9.2 औद्योगिक संबंध

9.2.1 वर्ष के दौरान समता एवं मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने में सभी वर्ग के कर्मचारियों तथा मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों व अन्य ट्रेड यूनियन और संस्थाओं का लगातार सहयोग व समर्थन मिलता रहा जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अधिकारी संगठन शामिल हैं. पूरे वर्ष के दौरान कार्यशाला एवं संयंत्र स्तरीय समितियों तथा कार्यकारिणी समिति, संरक्षा समिति, कैण्टीन समिति तथा कल्याण समिति जैसी अन्य विधिक समितियों ने मिलजुल कर कार्यस्थल अनुशासन सुनिश्चित किया.

9.2.2 वर्ष के दौरान कार्यपालकतेर वर्ग के कर्मचारियों का वेतन संशोधन कर लागू किया गया.

9.2.3 सांविधिक कल्याण प्रावधानों का अनुपालन ध्यानपूर्वक किया जा रहा है. कंपनी ने वर्ष के दौरान कर्मचारियों के प्रोत्साहन के लिए वित्तपोषित परिवहन तथा विद्यालय शुल्क-प्रतिपूर्ति, कैण्टीन भत्ता जैसी गैर-सांविधिक कल्याण सुविधाएँ प्रदान कीं. कंपनी, बीडीएल चिकित्सा नियमों के तहत कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रख रही है. सेवा-निवृत्त कर्मचारी एवं उनके परिजनों की चिकित्सा-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिकित्सा बीमा योजना प्रवृत है.

9.2.4 कर्मचारियों से उच्च स्तरीय उत्पादकता प्राप्त करने की दृष्टि से इन्होंने खेल-कूद, सांस्कृतिक व मनोरंजक गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है. इन गतिविधियों के लिए गठित गैर सांविधिक कल्याण समितियाँ इन कार्यक्रमों में विशेष रुचि लेती है.

10 पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा विकास, विदेशी-मुद्रा संरक्षण

10.1 पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण

10.1.1 आपकी कंपनी की सभी इकाइयों में साफ-सुथरा तथा हरा-भरा माहोल बनाए रखा जा रहा है. साफ-सुथरा परिसर, हरा-भरा माहोल, प्रदूषण नियंत्रण के सख़्त उपाय, शून्य निःस्राव प्रवाह, व्यवस्थित प्रबंधन तथा

हानिकारक व अन्य तरह के अपशेषों का निपटारा व अन्य कई तरह के उपाय एक अच्छे स्थापित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के हिस्से बन गए हैं.

10.2 प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा विकास, विदेशी-मुद्रा संरक्षण

10.2.1 प्रौद्योगिकीय संरक्षण

कंपनी, विदेशी सहभागियों के साथ चरणबद्ध विनिर्माण के लिए तकनीकी हस्तांतरण करार कर रही है तथा प्रयोक्ता की आवश्यकतानुसर नई परियोजनाओं का देशीकृत विकास कर रही है. कंपनी डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर देश में ही नए उत्पादों का विकास कर रही है. इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकीय संरक्षण के अंतर्गत कंपनी के अनुसंधान एवं विकास विशेषज्ञता की सहायता से आंतरिक उत्पादों का विकास कर रही है.

10.2.2 नवीकरणीय ऊर्जा विकास

ऊर्जा संरक्षण पर कंपनी निरंतर रूप से विशेष ध्यान दे रही है. ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनाये गये कुछ कदम इस प्रकार हैं :

- भानूर इकाई की कैण्टीन में इलेक्ट्रिक गीज़र की जगह सोलार वाटर हीटर की व्यवस्था.
- विशाखापट्टणम इकाई में संभावित तौर पर सितंबर, 2011 तक शुरू होनेवाली कैण्टीन के लिए सोलार वाटर हीटर तथा सोलार कुकिंग सिस्टम की व्यवस्था.
- तीसरी पीढ़ी के प्रक्षेपास्त्र और एम आर सैम उत्पादन के लिए बनने वाली नई इकाइयों/प्रभागों में सोलार वाटर हीटिंग और सोलार कुकिंग की व्यवस्था.
- ऊर्जा और पानी की बचत के लिए परंपरागत रेसीप्रोकेशन वाटर कूल्ड एयर कंप्रेसर की जगह स्क्रू टाइप कंप्रेसर का प्रतिष्ठापन.

हरित भवन

- बीडीएल विशाखापट्टणम इकाई के प्रशासन भवन की हरित भवन के रूप में पहचान की गई तथा इस भवन का प्रारूप सिल्वर लेड श्रेणी में पंजीकृत किया गया है. इस भवन का निर्माण जुलाई, 2011 से आरंभ होगा.
- इसी हरित भवन की संकल्पना तृतीय पीढ़ी के प्रक्षेपास्त्र और वी एस एच आर ओ डी प्रक्षेपास्त्र उत्पादन की स्थापना के दौरान भी कार्यान्वित की जाएगी.

11 विदेश मुद्रा संरक्षण

11.1 कंपनी, अंतिम उत्पादों के संयोजन में देशीय घटकों को बढ़ावा देते हुए, ओ ई एम से घटक एवं उप-प्रणालियों का आयात घटाते हुए विदेश मुद्रा संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.

12 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व

12.1 संस्थापन से ही कंपनी अपने विभिन्न प्रभागों में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है. सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेय जल जैसी मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए गाँवों को अपनाना इन गतिविधियों का एक अंग है.

12.2 हाल ही में, सरकार ने सी एस आर संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं. तदनुसार, कंपनी इस नीति की रूपरेखा बना रही है. इस नीति के अनुसार लाभ का एक निश्चित प्रतिशत सी एस आर गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा.

अनुलग्नक-II

नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट

1 नैगमिक अभिशासन संबंधी कंपनी की विचारधारा :

1.1 कंपनी के सभी कार्यों में पारदर्शिता, उचित बातों का प्रकटन, कानून का अनुपालन, नैतिक मूल्यों के पालन सहित सभी स्वामित्वधारकों के हितों का ध्यान रखना कंपनी की नैगमिक अभिशासन संबंधी विचारधारा है.

1.2 कंपनी अपने व्यावसायिक उपागम के साथ नैगमिक अभिशासन वचनों का लिखित एवं व्यावहारिक रूप में यथावत पालन कर रही है.

1.3 कंपनी की गतिविधियों का सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के निरीक्षक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) आदि कई बाह्य एजंसियों द्वारा अनुवीक्षण किया जाता है.

2 निदेशक मण्डल :

2.1 निदेशकों का गठन एवं निदेशक-वर्ग :

2.1.1 समय-समय पर संशोधित संस्था के अंतर्नियम के प्रावधान अनुसार बीडीएल के निदेशक-मण्डल में न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 15 निदेशक होंगे. निदेशक का क्वालिफिकेशन शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

2.1.2 कंपनी के निदेशक-मण्डल का पुनर्गठन भारत सरकार द्वारा किया गया जिसमें 9 सदस्य हैं अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 4 पूर्णकालिक निदेशक, 2 अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं 3 अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं. इनके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय के निदेशानुसार 4 स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य बोर्ड में रखे गए हैं जिनमें वायुसेना के उपाध्यक्ष, नौसेना के उपाध्यक्ष, थल सेना के उप प्रमुख एवं डी आर डी ओ के मनोनीत सदस्य शमिल हैं.

2.1.3 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष से संबंधित बोर्ड के सदस्यों का विवरण निम्नवत् है :

(अ) कार्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक :

(i) मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि से मे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ii) श्री एन विनोद कुमार
निदेशक (वित्त)

(iii) श्री एस एन मंथा
निदेशक (तकनीकी)

(iv) एयर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, वि से मे (नि.)
निदेशक (उत्पादन)

(आ) अंशकालिक सरकारी निदेशक

(i) श्री टी रामचंद्रू, आई ए एस
संयुक्त निदेशक (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली)
रक्षा उत्पादन विभाग
रक्षा मंत्रालय
(18 अक्तूबर, 2010 तक)

(ii) श्रीमती रश्मि वर्मा, आई ए एस
संयुक्त निदेशक (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली)
रक्षा उत्पादन विभाग
रक्षा मंत्रालय
(18 अक्तूबर, 2010 से)

(iii) श्री जतिंदरबीर सिंह, आई ए एस
संयुक्त सचिव एवं एएम (एल एस)
रक्षा मंत्रालय

(इ) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक :

(i) प्रो. आर के मिश्र
वरिष्ठ प्रोफ़ेसर एवं निदेशक
सार्वजनिक उद्यम संस्थान

(ii) श्री के एल महरोत्रा
भूतपूर्व सीएमडी,
मैंगनीज़ ओर (इं) लिमिटेड

2.1.4 एक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति प्रतीक्षारत है.

2.1.5 निदेशक मंडल की बैठक के वर्तमान स्थायी विशेष आमंत्रितों के विवरण इस प्रकार है:

(i) एयर वाईस मार्शल एन ए के ब्राउने,
प वि से मे, अ वि से मे, वि मे,
ए डी सी वायु सेना उपाध्यक्ष

(ii) लेफ्टिनेंट जनरल जे पी सिंह, अ वि से मे
थल सेना के उप प्रमुख (पी अण्ड एस)

(iii) वाईस एडमिरल डी के दीवान, अ वि से मे
नौसेना के उपाध्यक्ष

(iv) श्री पी वेणुगोपालन
उत्कृष्ट वैज्ञानिक,
निदेशक, डीआरडीएल एवं सदस्य सचिव, जीएमबी

2.2 निदेशक-मण्डल की बैठकें एवं उपस्थिति; निदेशक की सदस्यता या अध्यक्षता में गठित अन्य बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या :

2.2.1 वर्ष 2010-11 के दौरान दि. 05 अप्रैल, 2010; 11 जून, 2010; 19 जुलाई, 2010; 06 अगस्त, 2010; 03 सितंबर, 2010; 24 नवंबर, 2010; 21 दिसंबर, 2010 और 24 मार्च, 2011 को कुल 8 निदेशक-मण्डल की बैठकें हुईं. निदेशक मण्डल की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार और वर्ष के दौरान ऐसी चार बैठकें होनी आवश्यक हैं. निदेशक मण्डल की सूचना एवं निर्णय के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है.

2.2.2 वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों, वार्षिक आम सभा में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनकी अन्य निदेशक-सदस्यता/समिति सदस्यता के विवरण इस प्रकार हैं :

निदेशक	निदेशक मंडल की बैठकें		03 सितंबर, 2010 को संपन्न विगतएजीएम में उपस्थिति	अन्य निदेशक-सदस्यता में संपन्न बैठकें	सभी कंपनियों को मिलाकर समितियों में सदस्यता	
	निदेशकों के कार्य-काल में संपन्न निदेशक-मण्डल की बैठकें	कुल बैठकों में प्रतिभाग			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
कार्यकारी निदेशक						
मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि से मे (नि.) सी एम डी	8	8	हाँ	-	-	-
श्री एन विनोद कुमार, निदेशक (वित्त)	8	8	हाँ	-	-	-
श्री एस एन मंथा, निदेशक (तकनीकी)	8	8	-	-	-	-
एयर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, वि से मे(नि.) निदेशक (उत्पादन)	8	7	-	-	-	-
अंशकालिक सरकारी निदेशक						
श्री टी रामचंद्रू आई ए एस (18 अक्तूबर, 2010 तक)	5	5	हाँ	-	-	-
श्री जतिंदरबीर सिंह, आई ए एस	8	2	-	-	-	-
श्रीमती रश्मि वर्मा,आई ए एस (18 अक्तूबर, 2010 से)	3	3	-	-	-	1
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक						
प्रो. आर के मिश्र (08 मार्च, 2011 से)	1	1	-	2	-	2
श्री के एल महरोत्रा (08 मार्च, 2011 से)	1	1	-	2	-	2

अपरिहार्य कारणों से बैठक में भाग नहीं ले पाने की स्थिति में निदेशकों को अनुपस्थिति अवकाश दिया गया.

2.3 नये निदेशकों की नियुक्ति

कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के तहत सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. वर्ष 2010-11 के दौरान श्री टी रामचंद्रू, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) के स्थान पर श्रीमती रश्मि वर्मा, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) तथा प्रो. आर के मिश्र एवं श्री के एल महरोत्रा को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में बोर्ड में नियुक्त किए जाने संबंधी राष्ट्रपति के दो आदेश प्राप्त हुए. निदेशक-मंडल में नियुक्त इन नये निदेशकों से संबंधित आवश्यक विवरण इस प्रकार है

(i) श्रीमती रश्मि वर्मा, आई ए एस

श्रीमती रश्मि वर्मा, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) की नियुक्ति श्री टी रामचंद्रू, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) के स्थान पर दि.18 अक्तूबर, 2010 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में की गई. श्रीमती रश्मि वर्मा, बिहार कैडर (बीएच : 82 बैच) की आई ए एस अधिकारी हैं. इससे पूर्व, वे बिहार सरकार, पटना के पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव रहीं तथा भारत सरकार के पर्यटन विभाग में अपर महानिदेशक व भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रहीं.

(ii) प्रो. डॉ. आर के मिश्र

डॉ. आर के मिश्र दि. 08 मार्च, 2011 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किए गए. डॉ. आर के मिश्र सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वरिष्ठ प्रोफ़ेसर एवं निदेशक हैं. वे डी एफ आई डी, डेलाइट ऐडम स्मिथ संस्थान, ए डी बी और सेंटर फार गुड गवर्नेंस जैसे विभिन्न संगठनों के प्रबंधन परामर्शदाता रहे. प्रो. मिश्र राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान की राज्य वित्त-नीति पुन:संरचना परियोजना के टीम-सदस्य रहे तथा मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि), फर्टिलाइज़र अण्ड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड (एफएसीटी) के बोर्ड-सदस्य भी रहे. वे सी पी एस ई के अनुबंध ज्ञापन प्रलेख दिशा-निर्देश की समीक्षा के लिए गठित कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं.

(iii) श्री के एल महरोत्रा

श्री के एल महरोत्रा दि. 08 मार्च, 2011 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किए गए. श्री के एल महरोत्रा प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सन् 1970 में बी एस सी (रसायनिक इंजीनियरिंग) में स्नातक हैं. उन्हें निजी, राज्य एवं केंद्र सरकार के संगठनों के विभिन्न पदों पर 38 वर्ष का अनुभव प्राप्त है. वे प्रागा टूल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तथा मैंगनीज़ ओर (इं.) लिमिटेड के सीएमडी रहे. उन्हें वर्ष 2007 और 2008 के लिए इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी उत्तम मुख्यकार्यपालक अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

3 लेखा-परीक्षा समिति

3.1 विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण

3.1.1 डी पी ए द्वारा दि.14 मई, 2010 के का.ज्ञा. संख्या 18 (8)/2005-जीएम के तहत जारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देश अनुसार लेखा-परीक्षा समिति की भूमिका, अधिकार, जानकारी का समीक्षा क्षेत्र इत्यादि का संशोधन किया गया. अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं :

i) कंपनी के वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की रिपोर्टिंग प्रक्रिया में चूकवश होनेवाली कमियों तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन

ii) लेखा-परीक्षा शुल्क निर्धारण के संबंध में निदेशक-मण्डल को सिफारिश करना.

iii) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अन्य प्रकार की प्रदत्त सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन.

iv) निदेशक-मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करना.

v) आंतरिक लेखा-परीक्षकों का कार्यनिष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना.

vi) आंतरिक लेखा-परीक्षकों और/अथवा लेखा परीक्षकों से चर्चा कर किसी महत्वपूर्ण जानकारी ज्ञात कर उस पर अनुवर्ती कार्रवाई कराना.

vii) लेखा-परीक्षा से पूर्व लेखा-परीक्षा की प्रकृति एवं परिधि के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों से चर्चा करना तथा लेखा-परीक्षा उपरान्त किसी चिंतनीय बात की जानकारी प्राप्त करने चर्चा.

viii) नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा की गई लेखा-परीक्षा पर दिए गए निरीक्षणों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना.

3.1.2 कंपनी के कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों की आंतरिक लेखा-परीक्षा के लिए तीन सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया गया है जो कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग के अतिरिक्त है और इन आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्टों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई.

3.2 गठन, अध्यक्ष व सदस्यों के नाम

3.2.1 कंपनी के निदेशक मण्डल ने दि. 24 मार्च, 2011 को संपन्न अपनी बैठक में कंपनी की लेखा-समिति का गठन किया. दि.31 मार्च, 2011 तक लेखा-समिति में निम्नलिखित निदेशक सदस्य रहे :

i) श्रीमती रश्मि वर्मा, आई ए एस - सदस्य

ii) प्रो. आर के मिश्र - सदस्य

iii) श्री के एल महरोत्रा - सदस्य

3.2.2 लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में पूर्णकालिक निदेशक स्थायी आमंत्रित के रूप में बुलाए जाते हैं तथा सांविधिक लेखा-परीक्षक एवं आंतरिक लेखा-परीक्षा करनेवाले बाह्य सनदी लेखाकार फर्म के प्रतिनिधि आमंत्रण पर उपस्थित हो सकते हैं. कंपनी सचिव इस लेखा-परीक्षा समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं.

3.3 वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की बैठकें व इनमें उपस्थिति :

वर्ष 2010-11 के दौरान दि. 05 अगस्त, 2010; दि. 03 सितंबर, 2010; दि.21 दिसंबर, 2010 और 23 मार्च, 2011 को कुल चार लेखा-परीक्षा समिति की बैठकें हुईं. इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नवत् है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1.	टी रामचंद्रु, आई ए एस संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) 18 अक्तूबर, 2010 तक	2	2
2.	श्रीमती रश्मि वर्मा, आई ए एस संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) 18 अक्तूबर, 2010 से	2	2
3.	श्री जतिंदरबीर सिंह, आई ए एस संयुक्त सचिव तथा एएम (एल एस)	4	2
4.	श्री एस एन मंथा (23 मार्च, 2011 तक)	4	4

4 पारिश्रमिक समिति

4.1 निदेशक मण्डल ने दि. 26 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्यक 2 (70)/08/डीपीई (डब्ल्यू सी) के तहत डी पी ई द्वारा ज़ारी दिशा-निर्देशानुसार दि.30 जनवरी, 2009 को संपन्न अपनी बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नामित किए गए. कार्यपालक वर्ग के कर्मचारियों में वितरित करने के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्ती वेतन पूल और नीति का निर्धारण करना, वार्षिक पी आर पी तथा उचित कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली संस्तुत करना इत्यादि इस समिति के विचारार्थ विषय होंगे.

4.2 सितंबर, 2009 तक इन तीनों स्वतंत्र निदेशकों ने अपने-अपने कार्यकाल पूर्ण कर लिए. मार्च, 2011 के दौरान निदेशक-मण्डल में दो स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए. पारिश्रमिक समिति के पुनर्गठन के लिए निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 2010-11 के दौरान पारिश्रमिक समिति की बैठकें बुलाई नहीं जा सकीं.

4.3 सी पी एस ई 2010 में नैगमिक अभिशासन के संबंध में डी पी ई द्वारा ज़ारी दिशा-निर्देशानुसार दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद दि.20 मई, 2011 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड ने पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया :

(i)	श्री के एल महरोत्रा स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	प्रो.आर के मिश्र स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
(iii)	श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली)	सदस्य

4.4 पारिश्रमिक नीति / सभी निदेशकों को देय पारिश्रमिक के विवरण :

4.4.1 केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल तथा पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधी सरकारी पत्र में उनकी नियुक्ति से संबद्ध निबंधन एवं शर्तें, कार्यकाल, मूल वेतन, वेतनमान, महँगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आदि की विस्तृत जानकारी होती है तथा इसमें यह भी सूचित किया जाता है कि जो अन्य निबंधन एवं शर्तें इस पत्र में नहीं दी गई हैं वहाँ कंपनी से संबद्ध नियमावली लागू होगी.

4.4.2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति आरंभिक तौर पर नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष तक अथवा उनकी अधिवर्षिता तक या इस संबंध में सरकार द्वारा अगले आदेश प्राप्त होने तक इनमें से सबसे पहले आने वाली अवधि तक नियुक्ति की जाती है. आयु, कार्य-निष्पादन तथा अन्य निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति आरंभिक अवधि से अगले पाँच वर्षों के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले आए उस तिथि तक सेवाएँ विस्तारित की जा सकती हैं. अंशकालिक सरकारी निदेशक समान्यतः प्रशासनिक मंत्रालय से होते हैं तथा उनकी सेवावधी कंपनी के निदेशक-मण्डल में नियुक्ति से लेकर उस मंत्रालय में बने रहने तक होती है. अंशकालिक गैर-अधिशासी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाती है.

4.4.3 वर्ष 2010-11 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के विवरण इस प्रकार हैं

निदेशक का नाम सर्वश्री	वेतन बकाया सहित *(ए)	लाभ *(बी)	भविष्य-निधि, पेंशन तथा ग्रैच्युटी में कंपनी का अंशदान	प्रोत्साहन राशि *(सी)	पट्टा आवास	कुल
मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि से मे (नि.) सी एम डी	21,94,584	49,682	2,46,549	8,711	5,40,000	30,39,526
श्री एन विनोद कुमार निदेशक (वित्त)	20,70,206	53,995	2,33,370	8,633	4,50,000	28,16,204
श्री एस एन मंथा निदेशक (तकनीकी)	18,87,911	57,266	2,15,949	8,890	4,26,708	25,96,724
एयर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, वि से मे (नि.) निदेशक (उत्पादन)	19,54,779	54,067	2,34,262	7,003	1,87,500	24,37,611

*(ए) वर्ष 2010-11 के वेतन में मूल वेतन, महँगाई भत्ता, एच आर ए, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन-वृद्धि शामिल हैं.

*(बी) लाभ के अंतर्गत वर्ष 2010-11 अवधि के लिए धुलायी, चिकित्सा ओ पी, अखबार, व्यावसायिक विकास भत्ता, विशेष भत्ता शामिल हैं.

*(सी) वर्ष 2010-11 के लिए त्रैमासिक प्रोत्साहन राशि शामिल है.

4.4.4 अंशकालिक सरकारी निदेशकों (गैर अधिशासी निदेशक) को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है तथा उन्हें निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भी किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता.

4.4.5 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) को निदेशक मण्डल/समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 5,000/- प्रतिभागिता शुल्क का भुगतान किया जाता है. वर्ष 2010-11 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किये गये शुल्क का विवरण इस प्रकार हैं

(प्रतिभगिता शुल्क रु. में)

नाम	कुल
श्री के एल महरोत्रा	5,000/-
प्रो. आर के मिश्र	5,000/-

5 आम सभाएँ

5.1 कंपनी की सभी आम सभाएँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संपन्न हुई. विगत तीन वर्षों के दौरान संपन्न ऐसी बैठकों के विवरण इस प्रकार हैं :-

वार्षिक आम सभा की संख्या	वित्तीय वर्ष	बैठक की तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान
38	2007-08	27 सितंबर 2008	1400 बजे	पंजीकृत कार्यालय, कंचनबाग, हैदराबाद
39	2008-09	04 सितंबर 2009	1230 बजे	
40	2009-10	03 सितंबर 2010	1430 बजे	

5.2 विशेष संकल्पों की सूची

1. दि. 04 सितंबर, 2009 (2008-2009) को संपन्न 39वीं वार्षिक आम सभा में डी पी ई द्वारा मिनीरत्ना वर्ग-1सार्वजनिक उद्यम अर्थात् बीडीएल को प्रत्यायोजित शक्तियों एवं परिवर्धित स्वायत्तता के प्रयोग के लिए कंपनी के अंतर्नियम के उपबंध 103 (बी) में संशोधन किया गया तथा 102 (ए) जोड़ते हुए एक विशेष संकल्प पारित किया गया.

6 प्रकटन :

6.1 वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी के निदेशकों के साथ ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया जो कंपनी के हित में न हो. निदेशक मंडल के सदस्य पारिश्रमिक लेने के अतिरिक्त (जहाँ लागू हो) कंपनी के साथ किसी भी प्रकार के आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं रखते जो निदेशक मंडल के निर्णयानुसार फैसला लेने में निदेशकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं.

6.2 सरकार द्वारा ज़ारी दिशा-निर्देश से संबद्ध किसी विषय को लेकर किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा विगत तीन वर्ष के दौरान कंपनी पर न कोई जुर्माना लगा और न ही कोई अवक्षेप किया गया.

6.3 विज़िल ब्लोअर मैकानिज़्म :

डी पी ए द्वारा ज़ारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देश 2010 का अनुपालन किया जा रहा है. कंपनी की व्हिज़िल ब्लोअर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिल सकता है. इस वर्षावधि की रिपोर्ट के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति या उसके अध्यक्ष से मिलने से मना नहीं किया गया है.

6.4 कंपनी, जोखिम प्रबंधन एवं वर्ग-वार रिपोर्टिंग को छोड़कर डीपीई द्वारा नैगमिक प्रशासन के संबंध में जारी सीपीएसई, 2010 के सभी दिशा-निर्देश का अनुपालन कर रही है. कंपनी विभिन्न प्रकार के जोखिम पहचानने तथा अपने कार्य संचालन के विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध जोखिम शमन उपाय सुझाने के लिए एक सर्वोपरि जोखिम प्रबंधन नीति बना रही है. कंपनी कपट प्रतिरोध नीति भी प्रवर्तित कर रही है. कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन हो चुका है. संव्यवहार की प्रकृति एवं उद्घाटित करने में उसकी संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्ग रिपोर्टिंग से संबद्ध ए एस-17 को छोड़कर अनुप्रयोज्य सभी लेखा-मानदण्डों का पालन किया जा रहा है. तथापि, इसे उद्घाटित न करने पर कंपनी की लेखाओं पर इसका कोई वितीय प्रभाव नहीं होगा. लेखा संबंधित टिप्पणी में आवश्यक सूचना दी गई है. संप्रति बोर्ड में सदस्यों की संख्या 8 है जबकि मंजूर की गई संख्या 9 है. 8 सदस्यों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक 2 हैं जबकि मंजूर की गई संख्या 3 है. एक और अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक की नियुक्ति की जानी है.

6.5 प्राप्त राष्ट्रपति निर्देश का विवरण तथा उनका कार्यान्वयन :

कंपनी के बोर्ड स्तर एवं बोर्ड के निम्न स्तर के कार्यापालकों के वेतन संशोधन के संबंध में डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान करते हुए दि. 27 अप्रैल, 09 का संख्यक एच-62030/1/0227-डी (बीडीएल) राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त हुआ. तदनुसार, राष्ट्रपति निर्देश का अनुपालन करते हुए कंपनी ने वेतन संशोधन कार्यान्वित किया है.

6.6 व्यय का कोई भी ऐसा मद लेखा-बही के खर्चे में नहीं दिखाया गया जो संव्यवहार के लिए नहीं रखा गया हो.

6.7 निदेशक मण्डल तथा उच्च प्रबंधन के व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कंपनी ने किसी प्रकार का व्यय नहीं किया.

6.8 प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय के विवरण कुल व्यय या वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में दिखाए जा रहे हैं :

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2009-10
1	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	393.24	292.50
2	प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	5.63	3.94
3	(1) पर (2) का प्रतिशत	1.437%	1.35%

7 संप्रेषण के माध्यम

अपने शेयरधारकों, निदेशकों तथा अन्य स्टेकधारकों के साथ कंपनी की संप्रेषण प्रणाली में पत्राचार और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट (http://bdl.ap.nic.in) के साथ-साथ सभी संप्रेषण चैनलों के माध्यम शामिल हैं. कंपनी वेबसाइट में कंपनी का परिचय, कार्य-संपादन, मिशन एवं भविष्य-दृष्टि, उद्देश्य, उपलब्धियाँ, बीडीएल का प्रबंधन, वार्षिक विवरण की सूचना, उत्पाद, निविदाओं के विवरण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, कैरियर संबंधी बीडीएल की जानकारी उपलब्ध होती है. कंपनी की कार्य-निष्पादन संबंधी जानकारी हर माह प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है. इससे संबंधित परिणाम किसी भी अखबार में प्रकाशित नहीं किये जाते हैं.

8. कंपनी असफल वित्तीय विवरण सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है.

9. समय-समय पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का रूपायन किया जा रहा है.

10 निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आचरण संहिता

10.1 डी पी ई द्वारा ज़ारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 की सुझाव के अनुसार कंपनी द्वारा अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए संव्यवहार नीति एवं आचरण संहिता अपनायी गयी है.

10.2 यह आचरण संहिता कंपनी के वेबसाइट में भी रखी गई है. निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालकों ने वर्ष 2010-11 के दौरान आचरण संहिता के अनुपालन पर बल देते हुए वचन-पत्र (घोषणा) दी/दिया.

10.3 इस संबंधी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा निम्नवत् है :

11 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से घोषणा :

डी पी ई द्वारा ज़ारी कार्यालय ज्ञापन सं.18(8)/2005-जीएम, दिनांक 14 मई, 2010 में उल्लिखित सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देशन के अनुसार यह घोषणा की जाती है कि निदेशक-मण्डल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक-मण्डल सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए संव्यवहार आचरण एवं नैतिक संहिता के अनुपालन पर बल देते हैं.

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए

मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि से मे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

वाई रमेश एम कॉम, सी ए आई आई बी, ए सी एस
कार्यरत कंपनी सचिव
मोबाइल : 9849045347

नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र

सेवा में,

सदस्य-गण

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

मैंने, सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 के अनुसार दि.31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है.

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है. मेरा यह परीक्षण उपरोक्त दिशा-निर्देश में उल्लिखित नैगमिक अभिशासन प्रमाण-पत्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है. यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा है और न ही विचाराभिव्यक्ति.

मेरे राय में तथा मुझे प्राप्त जानकारी व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूँ कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा ज़ारी "सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010" के तहत कंपनी ने निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए संव्यवहार नीति आचरण संहिता अपनायी है जिसके तहत यह निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की ज़िम्मेदारी है कि आचरण संहिता से स्वयं अवगत हों और उसके मानकों का अनुपालन तथा दि. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचरण संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें.

मैं आगे प्रमाणित करता हूँ कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा ज़ारी "सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010" के तहत कंपनी में जोख़िम प्रबंधन निर्देश को छोड़कर नैगमिक अभिशासन के बाकी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है. जोख़िम प्रबंधन संबंधी कंपनी के लिए उपयुक्त नीतियाँ अपनाने की प्रक्रिया चल रही है.

(वाई रमेश)
कार्यरत कंपनी सचिव
सी पी संख्या : 7929

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 26 जुलाई 2011

947, बालाजी नगर, विद्या नगर, हैदराबाद-500 044
ई-मेल : racs_y@yahoo.co.in

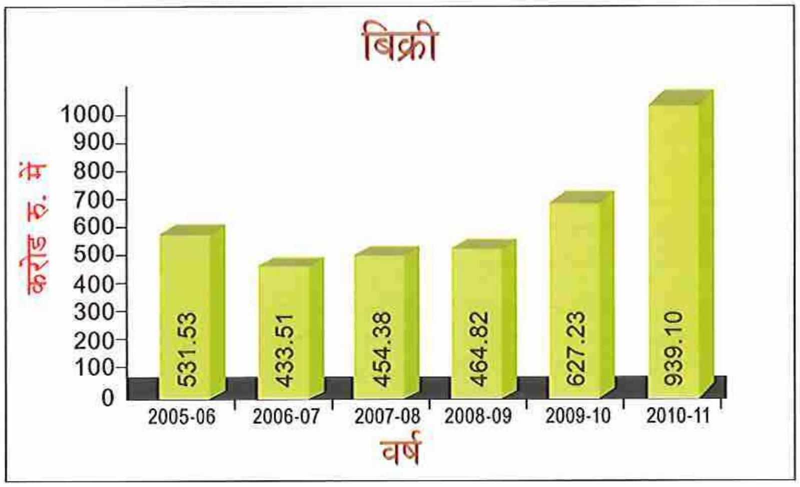
बिक्री
करोड रु. में
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
531.53
433.51
454.38
464.82
627.23
939.10
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
वर्ष

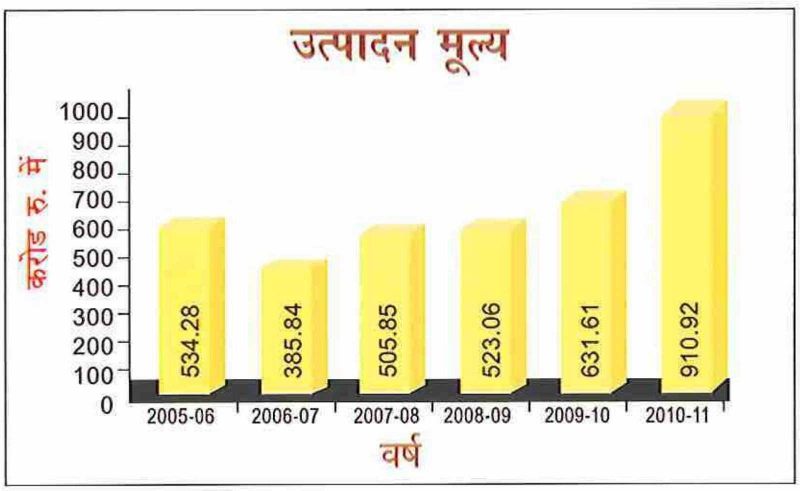
उत्पादन मूल्य
करोड रु. में
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
534.28
385.84
505.85
523.06
631.61
910.92
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
वर्ष

परिवर्द्धित मूल्य
करोड रु. में
350
300
250
200
150
100
50
0
205.27
145.95
153.86
158.22
193.60
330.78
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
वर्ष

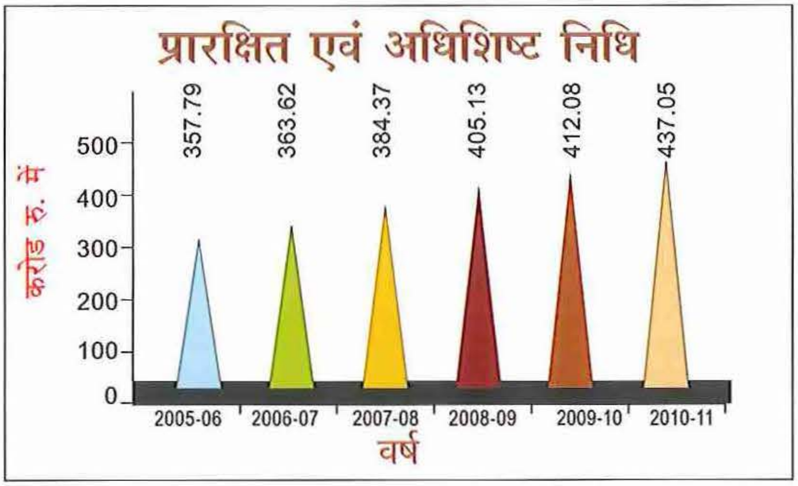

प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि
करोड़ रु. में
0
100
200
300
400
500
357.79
363.62
384.37
405.13
412.08
437.05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
वर्ष

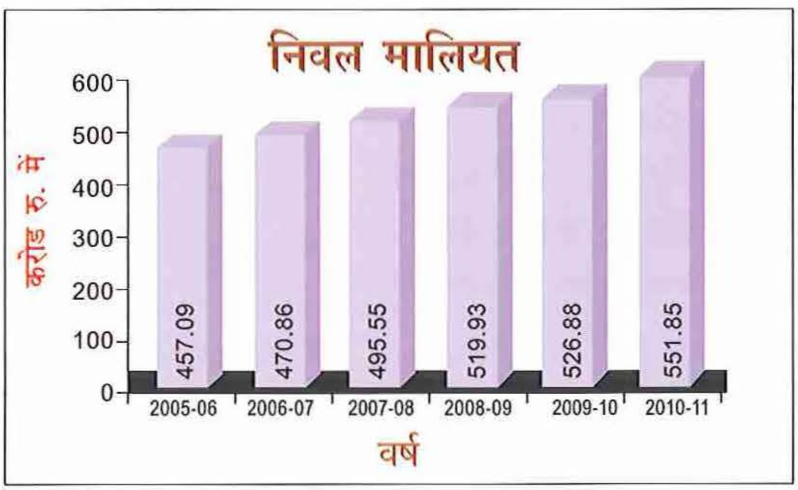

निवल मालियत
करोड़ रु. में
0
100
200
300
400
500
600
457.09
470.86
495.55
519.93
526.88
551.85
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
वर्ष

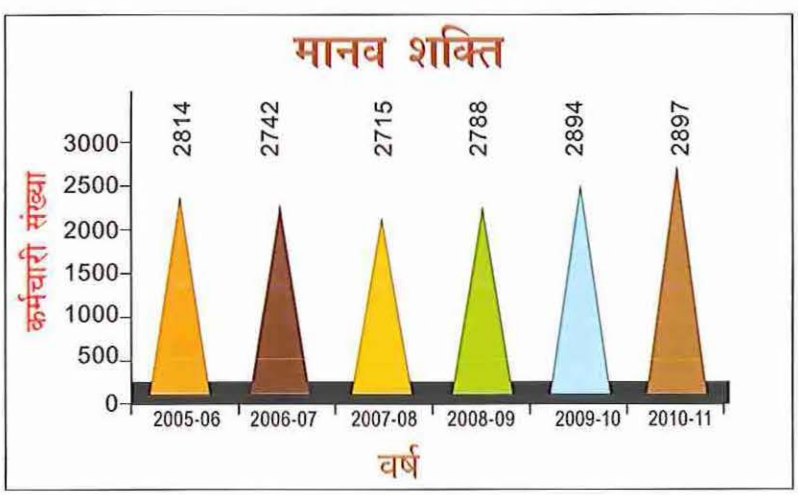

मानव शक्ति
कर्मचारी संख्या
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2814
2742
2715
2788
2894
2897
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
वर्ष

लेखा-नीति

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने के मूल आधार :**

जब तक कि अन्यथा उद्धृत न हो, वित्तीय विवरणिकाएँ प्रोद्भूत आधार तथा परंपरागत लागत पर कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा कार्यसिद्धान्तों के अनुसार तैयार की जाती हैं.

2. **स्थायी परिसंपत्तियाँ :**

2.1 कंपनी के लेखाओं में भूमि का पूँजीकरण कंपनी लागत पर किया गया है. भूमि समतल बनाने, साफ कराने तथा ग्रेडिंग जैसे भूमि के विकास का पूँजीकरण भवनों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई भूमि के अनुपात में भवन लागत पर किया है तथा बाकी विकास-शीर्ष का पूँजीकरण भूमि लागत पर किया है. किसी भवन के निर्माण से संबंध न रखनेवाले लैंडस्केपिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हुआ विकास-शीर्ष भूमि लागत माना जाता है.

2.2 बाहरी अभिकरणों की संपूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता/सहायिकी से अर्जित स्थायी परिसंपति कंपनी के खातों में निवल लागत पर लेखांकित की गयी है. सरकार से बिना किसी लागत के हस्तांतरित संपत्ति सांकेतिक मूल्य पर लेखांकित की गयी है.

2.3 सयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण, फिक्स्चर्स, कार्यालयीन फर्नीचर तथा उपकरणों की मदें जहाँ प्रत्येक मद का मूल्य 5,000/- रुपये या उससे कम है, वहाँ खरीद के वर्ष में संपूर्ण मूल्य-ह्रास किया जाता है. सिविल निर्माण के छोटे कार्यों की लागत जो ₹ 50,000/- या उससे कम है, ऐसे कार्य, आन्तरिक विभाजक दीवारें जिनमें हर कार्य पर ₹ 50,000/- या उससे कम लागत का हो राजस्व खाते पर प्रभारित किया जाता है. ऐसी विभाजक दीवारों की लागत जो 50,000/- रुपये से अधिक हो उनका मूल्य-ह्रास 5 वर्ष की अवधि या संबद्ध परिसर के पट्टे की अवधि, इनमें से कम वाली अविधि में किया जाता है.

2.4 सामग्री की मदें जो अनुपयुक्त होने से उपयोग में नहीं लायी जातीं उनका जब तक निपटान नहीं होता तब तक लेखाओं में परिशुद्ध लेखा-मूल्य और परिशुद्ध प्रापणीय मूल्य, इनमें से जो कम हो उस स्तर पर लेखांकित रखा जाता है. निपटान के बाद उन्हें लेखाओं से हटा दिया जाता है. संपत्ति विक्रय पर मूल लागत से जो अधिक राशि प्राप्त होती है उसे पूँजी प्रारक्षण जमा में डाला जाता है.

2.5 मशीनरी तथा उपस्करों की स्थिति के पुनःअनुकूलन, स्थान-पुनर्निर्धारण, पुनरारेखन पर होने वाला व्यय पूँजीकृत नहीं किया गया है.

2.6 संयंत्र मशीनरी तथा उपस्करों के साथ प्राप्त अतिरिक्त पुर्जों की लागत पूँजीकृत की जाती है तथा इसका मूल्य-ह्रास संयंत्र और मशीनरी के मूल्य-ह्रास की भांति ही किया जाता है.

3. **अमूर्त परिसंपत्तियाँ**

3.1 सामान्य अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय, व्यय के वर्ष में राजस्व को प्रभारित किया जाता है. कंपनी द्वारा वितपोषित विकास संबंधी व्यय तथा जिन विशिष्ट परियोजनाओं के उत्पादनों की तकनीकी संभाव्यता प्रमाणित हो चुकी हो और कंपनी जिनका उत्पादन कर विपणन करना चाहती हो, उन पर विकास का व्यय भविष्य के उत्पादों में संविलयन की दृष्टि से पूँजीकृत किया जाता है, यदि कंपनी द्वारा वितपोषित परियोजनाएँ पहले रोक दी जाती हों/त्यागी जाती हों तो रोके जाने तक/त्यागे जाने तक किये गये व्यय, रोके जाने/त्यागने के वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित कर बट्टे-खाते डाले जाते हैं.

3.2 कार्मिक प्रशिक्षण पर व्यय, विदेशी तकनीशियनों का शुल्क तथा व्यय आदि परियोजना/उत्पाद विशेष पर उत्पादन-पूर्व व्यय विकासगत व्यय के रूप में प्राक्कलन के आधार पर क्रमिक अपाकरण किया जाता है जो अपाकृत नहीं होता उसे अग्रेषित किया जाता है.

3.3 आंतरिक प्रयोग के लिए तैयार किये गये साफ्टवेयर/बाहरी स्रोत/स्रोतों से प्राप्त किये गए साफ्टवेयर जिनकी कीमत ₹ 1.00 लाख व उससे अधिक है, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, लेखा-पुस्तकों में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है तथा इसका क्रमिक अपाकरण तीन सम भागों में होगा. अपाकरण का आरंभ इसकी प्रयुक्ति के आरंभ से माना जाता है.

4. औज़ार और उपस्कर

विशिष्ट परियोजनाओं/उत्पादों के लिए आवश्यक जिग्स, औज़ारों और फिक्चरों पर होने वाला व्यय आरंभतः तकनीकी मूल्यांकन के आधार से उत्पादन पर क्रमिक अपाकरण के लिए पूँजीकृत किया जाता है और जितना हिस्सा संविलयित नहीं होता, परिसंपत्ति के रूप में अग्रेषित किया जाता है. आंतरिक आधार पर विनिर्मित औज़ार लागत पर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर जो भी कम हो, पूँजीकृत किये जाते हैं. रखरखाव, पुनर्निर्माण, पुनःअनुकूलन, आवधिक निरीक्षण, उपस्कर धारदार बनाना, कटिंग उपस्कर का पुनर्भरण तथा समप्रकृति के कार्य राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किये जाते हैं.

5. परिसंपत्तियों का ह्रास

तुलन-पत्र की तारीख को परिसंपत्तियों की धारित-राशि निर्धारित की जाती है और यदि प्राक्कलित शोध्य राशि, धारित-राशि से कम पायी जाती हो तो ह्रास हानि आकलित कर प्रावधान किया जाता है.

6. निवेश

6.1 वित्तीय विवरणों में वर्तमान निवेश निम्नतम लागत पर प्रविष्टित होते हैं तथा निवेश समुचित मूल्य अलग-अलग निवेश के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

6.2 दीर्घ-अवधि निवेशों को वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रविष्टित किया जाता है तथापि, मूल्य निवेश-मूल के स्थायी आधार पर ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है.

7. आस्थगित ऋण

आयात सामग्री उपस्करण संचिका की लागत से संबद्ध आस्थगित निर्बन्धों के अधीन अप्रदत्त भुगतान किश्तें तथा ब्याज और बिक्री किये गये उपकरणों/उत्पादों के आस्थगित राजस्व व्यय ग्राहकों से आस्थगित ऋण के रूप में लेखांकित किये जाते हैं और जब-जब किश्तों की और उस पर ब्याज की अदायगी होती है तो वसूल कर लिया जाता है.

8. सामग्री सूचियाँ

8.1 सामग्री-सूची निम्न लागत अथवा निवल प्रापणीय मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है. कच्चा माल, घटक, निर्माणाधीन सामग्री, खुले औज़ार और भण्डार की मदों तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन भार की औसत लागत सूत्र के आधार पर किया जाता है.

8.2 मार्गस्त माल और निरीक्षणाधीन माल की वास्तविक लागत ली है.

8.3 प्राक्कलित वास्तविक मूल्यांकन पर विविध भण्डार का मूल्य दर्शाया है.

8.4 निर्माणाधीन कार्य लागत-दर या वास्तविक मूल्य या परिगणित मूल्य इनमें जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है. विनिर्माण संबंधी परियोजनाओं में संबंधित निर्माणाधीन कार्य में श्रमिक अंश का परिगणित मूल्य वर्ष के अंत में कार्य के प्रत्यक्ष परिसमापन के आधार

पर उत्पाद-ऊपरी-व्यय-दर पर निर्धारित किया जाता है. इस तरह का मूल्यांकन संयोजन के प्रारंभिक चरण में और पुर्जों के विनिर्माण विकास-कार्य तथा अन्य फुटकर कार्यों में नहीं किया जाता है. रनर्माणाधीन कार्य में सामग्री की मात्रा पर या प्रापणीय मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो, किया जाता है.

8.5 संव्यवहाराधीन भण्डार का मूल्यांकन लागत अथवा प्रापणीय मूल्य, जो भी कम हो, उस पर आँका गया है.

8.6 सीमा-शुल्क जहाँ लागू होता है वहाँ, माल की निकासी और सीमा-शुल्क प्राधिकरण से माल पारित होने पर माल की लागत पर भारित किया जाता है.

8.7 लेखन-सामग्री, वर्दी, कल्याण संबंधित उपभोज्य सामग्री, चिकित्सा तथा उपाहार-गृह भण्डार सामग्री इनकी प्राप्ति के समय राजस्व में प्रभारित कर बट्टे में डाली जाती है.

8.8 अर्धनाशवान सामग्री, कल्याण संबंधी सामग्री तथा विविध उपकरणों का लागत मूल्य लिया जाता है तथा जिनका, ऐसी मदें जिनकी कीमत ₹ 10,000/- या उससे कम हो, जारी किये जाने के समय राजस्व प्रभारित किये जाते है और जिनका मूल्य 10,000/- रुपये से अधिक हो वे जारी किये जाने के वर्ष से दो वर्षों में राजस्व में डाले जाते है.

8.9 कच्चा माल, घटक, निर्माणाधीन सामग्री, खुले औज़ार और भण्डार की मदें तथा अतिरिक्त पुर्जों का अधिशिष्ट/अनुपयोगी/अनावश्यक घोषित भण्डार राजस्व में प्रभारित किये जाते है.

8.10 मुख्य भंडार से जारी की गयी तथापि वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त पड़ी सामग्री पुनः भण्डारों में दाखिल नहीं की जाती.

8.11 खुले औज़ार तथा उपकरण व मानक औज़ार जारी किये जाने के समय राजस्व में प्रभारित किये जाते हैं.

8.12 5 वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त कच्चे माल और घटक, भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्ज़े, निर्माण सामग्री व खुले औज़ार जैसे इतिशेष सामग्री सूची से संबद्ध अनावश्यक सामग्री के अंतर्गत रखने का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त पूर्ण/विशेष परियोजनाओं और निस्तारण के लिए लंबित अतिरिक्त/अनावश्यक सामग्री जैसे सामग्री सूची के संबंध में भी "अनावश्यक सामग्री" के अंतर्गत डालने के यथावश्यक समुचित प्रावधान किये गये हैं.

9. विविध देनदार

सरकारी विभागों से संबद्ध विवादित/कालातीत ऋण-प्राप्यताओं को संदिग्ध ऋण नहीं माना जाता.

10. आपूर्तिकर्ताओं / बीमाकर्ताओं / संवाहकों / अन्यों पर दावे

आपूर्तिकर्ताओं/बीमाकर्ताओं/संवाहकों/अन्यों पर हानि /क्षति के दावे तब लेखांकित किये जाते हैं जब दावों का प्रवर्तन होता है. सरकारी विभागों से विवादित /कालातीत दावे संदिग्ध दावे नहीं माने जाते हैं.

11. विदेशी मुद्रा का अंतरण

सोवियत रूस (तत्कालीन) द्वारा की गयी आपूर्तियों से प्राप्त सेवाओं से संबंधित आस्थगित भुगतानों की और उन पर देय ब्याज की देयता, भारत सरकार तथा रूस की सरकार के बीच विदेशीकरण व्यवस्था के अंतर्गत आस्थगित भुगतान तथा तदुपरी ब्याज के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर आधारित है. अन्य मुद्राओं की स्थिति में, देयता तुलन-पत्र की प्रदत्त तारीख के प्रभावी विनिमय दर के आधार पर होती है. विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाला अंतर राजस्व में प्रभारित किया जाता है. पूँजीगत मदों के संबंध में समायोजन संपत्ति की लागत पर किया जाता है.

12. वर्तमान तथा आस्थगित कर के प्रावधान :

वर्तमान कर का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961

के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ पर विचार करने के बाद किया जाता है. लेखित आय और कर देय के बीच "समयान्तर" के परिणामस्वरूप होने वाले आस्थगित कर को अधिनियमित या तुलन-पत्र की तिथि से मूलभूत रूप से अधिनियमित कर दरों तथा कानून के प्रयोग लेखांकित करने के लिए किया जाता है. आस्थगित कर संपत्ति उतनी ही आँकी और अग्रेषित की जाती है जितनी कि भविष्य में इससे वसूली की वास्तविक निश्चितता दिखाई देती है.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ :

भूतकालीन कार्यो से वर्तमान दायित्व के लिए एक प्रावधान किया गया है और इस दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी जिसके लिए एक विश्वसनीय प्राक्कलन बनाया जा सकता है. प्रावधान वर्तमान मूल्य आधारित नहीं हो कर तुलन-पत्र की प्रवृत तिथि पर दायित्व निपटान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम प्राक्कलन पर आधारित हैं तथा इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र प्रवृत तिथि पर समीक्षा कर वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलन में दर्शाये जाते हैं. आकस्मिक देयताएँ वित्तीय विवरणिकाओं में नहीं लेकर टिप्पणियों में प्रकट की जाती हैं. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ, वित्तीय विवरणिकाओं में न ली जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं.

14. वारंटी

करार के अनुबंध एवं शर्तों के अनुसार जहाँ कहीं भी लागू हो बेचे गये उत्पादों पर वारंटी का प्रावधान किया गया है. वारंटी की शर्तें वर्तमान अवधि एवं अनुबंधों के आधार अनुसार यथावत रहेंगी.

15. बिक्री

15.1 जिन उत्पादों के संबंध में पूर्व-परीक्षण जरूरी होता है वहाँ परीक्षण के बाद स्वीकृत मात्रा के आधार पर बिक्री लेखांकित होती है.

15.2 अन्य सभी उत्पादनों के संबंध में स्वीकृति/प्रत्यक्ष प्रेषण के आधार पर बिक्री लेखांकित होती है.

15.3 जहाँ बिक्री-मूल्य निर्धारित नहीं हुआ वहाँ संभाव्य प्रापणीय मूल्य के आधार पर अंतिम बिक्री मूल्य निश्चित किया जाता है.

15.4 बिक्री-मूल्य में बिक्री-कर/वैट अपवर्जित होता है लेकिन उत्पाद शुल्क तथा सेवा-कर सम्मिलित होते हैं.

16. कर्मचारियों के लाभ

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ :

16.1 अल्पकालीन कर्मचारी लाभ जैसे वेतन पारिश्रमिक (वेज) तथा अल्पकालीन अनुपस्थिति प्रतिपूर्तियाँ सेवाकालीन वर्ष के लाभ-हानि लेखों में बिना किसी रियायती दरों के शामिल किये गये हैं.

निर्धारण योगदान योजनाएँ:

16.2 कंपनी द्वारा दिये गये / देय कंपनी अनुमोदित सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (REMI), कर्मचारी हितकारी निधि योजना (EBF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI), भविष्य निधि अधिनियम तथा पेंशन योजना के अंतर्गत देय भविष्य निधि योगदान राजस्व में प्रभारित किये जाते हैं.

निर्धारित लाभ योजनाएँ :

16.3 कंपनी की उपदान, छुट्टी वेतन योजनाएँ निर्धारित लाभ योजनाएँ हैं. उपदान संबंधी वर्तमान दायित्व का मूल्यांकन बीमांकित मूल्यांकन दर्शायी इकाई जमा पद्धति के प्रयोग के आधार पर किया जाता है, जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि पर एक अतिरिक्त इकाई कर्मचारी की लाभ अर्हता में जुड़ती है तथा प्रत्येक प्राक्कलित भविष्य नक़दी की गणना करती है. बीमांकित लाभ-हानियाँ लाभ-हानि लेखों में शामिल किये गये है.

16.4 छुट्टी वेतन के वर्तमान दायित्व का प्रावधान बीमांकित आधारित है. बीमांकित लाभ-हानियाँ, लाभ-हानि लेखों में शामिल की गयी हैं.

16.5 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर जाने वाले कर्मचारियों को देय प्रतिपूर्ति का सेवा-निवृत्ति के वर्ष के लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

17. ब्याज

विभिन्न परियोजनाओं के वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने तक की अवधि के लिए लाये गये उधारों / ऋणों पर उपचित ब्याज का तकनीकी प्राक्कलन के आधार पर उत्पादन होने पर अपाकरण किया जाता है तथा जिसका अपाकरण नहीं होता उसे अग्रेषित कर दिया जाता है.

18. मूल्य-ह्रास

स्थायी परिसंपत्ति पर मूल्य-ह्रास सीधी लाईन-पद्धति से प्रभारित किया जाता है. मूल्य-ह्रास की दरें संबद्ध परिसंपत्ति की लागत उसके अनुमानित कार्यकाल (आयु) पर परिव्याप्त कर निकाली जाती है तथापि टाउनशिप की इमारतों के मूल्य-ह्रास की दरें लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्वीकृत की गयी हैं. मूल्य-ह्रास का परिगणन 01.04.1991 से होता है. जिसमें संबद्ध परिसंपत्ति की सभी अभिवृद्धियाँ जो प्रयुक्ति/प्रभार की तारीख से ली जाती है. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित मूल्य-ह्रास की दरें लागू नहीं हैं, ये दरें उपर्युक्त अनुसूचियों में निर्धारित दरों से कम नहीं है.

19. लागत का न्यून अवशोषण/अत्यावशोषण

यदि एक वर्ष में निर्माण कार्यों पर लेबर और ओवर हेड लागत में अवप्रतिलब्धि/अधिप्रतिलब्धि की मात्रा उस वर्ष के निवल परिचालन व्यय से 0.5% से अधिक नहीं होती तो इन कार्यों पर इस लागत का न्यून अवशोषण/अत्यावशोषण का समायोजन नहीं किया जाता.

संलग्न 1 से 23 तक की अनुसूचियाँ तथा लेखा-नीतियाँ इन लेखाओं के अंगभूत अंश हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप
कृते डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

एम वी शर्मा
सदस्यता सं.205313
भागीदार

स्थान: हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

स्थान: हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि.से.मे. (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

एस वी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)

एच बी मूर्ति
कंपनी सचिव

वार्षिक लेखा
2010-11

31 मार्च 2011 का तुलन-पत्र

(₹ लाख)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
निधियों के स्रोत					
शेयरधारकों की निधियाँ					
पूँजी	1	11500.00		11500.00	
आरक्षित एवं अधिशिष्ट निधि	2	43704.94		41207.74	
			55204.94		52707.74
ऋण निधियाँ					
आस्थगित देयताएँ	3		5085.47		5476.66
			60290.41		**58184.40**
निधियों की प्रयुक्ति					
स्थायी परिसंपत्तियाँ					
सकल निरुद्ध राशि	4	38610.80		35747.68	
घटाव : मूल्य-ह्रास	4	25425.91		22883.61	
निवल निरुद्ध		13184.89		12864.07	
निर्माणाधीन पूँजीगतकार्य	5	2210.14		717.03	
			15395.03		13581.10
विशेष औजार एवं उपकरण	6		928.17		1457.86
निवेश	7		53.60		53.60
आस्थगित ऋण	8		4944.98		5325.37
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)			2848.09		1722.42
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
सामग्री सूची	9	50219.12		57026.32	
विविध देनदार	10	4514.59		3357.90	
नक़द एवं बैंक में शेष	11	402083.36		153332.46	
ऋण एवं अग्रिम	12	30032.77		30511.74	
		486849.84		244228.42	
घटाव : चालू देयताएँ एवं प्रावधान					
देयताएँ	13	438400.49		198019.58	
प्रावधान	13	12328.81		10164.79	
		450729.30		208184.37	
निवल चालू परिसंपत्तियाँ			36120.54		36044.05
			60290.41		**58184.40**
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	23				

संलग्न 1 से 23 तक की अनुसूचियाँ तथा लेखा-नीतियाँ इन लेखाओं के अंगभूत अंश हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप

कृते डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

एम वी शर्मा
भागीदार
(एम नं.205313)

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाइ 2011

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एस वी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि.से.मे. (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

एच वी मूर्ति
कंपनी सचिव

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(₹ लाख)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
आय					
सकल बिक्री	14	93909.58		62722.68	
घटाव : उत्पाद शुल्क			84.00	5.03	
घटाव : सेवा कर		128.20		84.77	
निवल बिक्री		93697.38		62632.88	
वृद्धि/(अपवृद्धि) निर्माणाधीन कार्य / कार्यगत भण्डार में परिवर्तन	15	(2817.55)		437.91	
अन्य आय	16	14374.69		15042.44	
			105254.52		**78113.23**
व्यय					
कच्चे माल एवं घटक आदि की खपत	17	58014.18		43800.89	
प्रत्यक्ष व्यय	18	1084.63		455.76	
वेतन और मज़दूरी	19	23453.28		17883.77	
अन्य व्यय	20	7977.47		6383.30	
ब्याज		6.77		1.64	
मूल्य ह्रास/क्रमिक अपाकरण	4	2574.18		1503.93	
प्रावधान	21	4922.42		3638.19	
		98032.93		**73667.48**	
घटाव : पूँजीगत एवं अन्य लेखाओं से संबद्ध व्यय	22	694.96		616.76	
निवल व्यय			97337.97		73050.72
कर पूर्व लाभ			**7916.55**		**5062.51**
घटाव/(जोड) : कर के लिए प्रावधान					
आयकर - पूर्ववर्ती वर्षों के लिए		26.24		687.79	
आयकर - चालू वर्ष		3845.32		1768.78	
आस्थगित कर		(1125.67)		(771.63)	
संपत्ति कर		0.35		-	
अनुशंगी लाभ पर क र		-		0.75	
कुल कर के लिए प्रावधान			2746.24		1685.69
कर के बाद लाभ			**5170.31**		**3376.82**
पिछले वर्ष से आनित लाभ का शेष			46.56		51.74
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ			**5216.87**		**3428.56**
विनियोजन					
प्रस्तावित लाभांश		2300.00		2300.00	
प्रस्तावित लाभांश परकर		373.12		382.00	
			2673.12		2682.00
सामान्य प्रारक्षित निधि			2500.00		700.00
तुलन-पत्र में अग्रेनित शेष			43.75		46.56
विनियोजन का जोड़			5216.87		3428.56
प्रति शेयर पर अर्जन (आंकित मूल्य प्रति 1000/- ₹) - मूल तथा विलयित (₹ में)			449.59		293.64
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	23				

संलग्न 1 से 23 तक की अनुसूचियाँ तथा लेखा-नीतियाँ इन लेखाओं के अंगभूत अंश हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप
कृते डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
एम वी शर्मा (एम नं.205313)
भागीदार
स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ए सवी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)
स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि.से.मे. (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

एच वी मूर्ति
कंपनी सचिव

31 मार्च 2011 तक लेखाओं की अंगभूत अनुसूचियाँ

(₹ लाख)

	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
1. पूँजी				
प्राधिकृत				
1,000 ₹ प्रति शेयर				
मूल्य के 12,50,000 शेयर के लिए		**12500.00**		**12500.00**
जारी किए गए, अंश दत्त एवं अभिदत्त				
प्रति शेयर 1,000 ₹		**11500.00**		**11500.00**
मूल्य के 11,50,000 ईक्विटी शेयर पूर्णतः पदत्त				
2. प्रारक्षित निधि एवं अधिशिष्ट निधि				
प्रारक्षित पूँजी				
विगत तुलन-पत्र के अनुसार	19.52		19.52	
जोड़ : वर्ष के दौरान वृद्धि	0.01		-	
		19.53		19.52
सामान्य प्रारक्षित				
विगत तुलन-पत्र के अनुसार	41141.66		40441.66	
जोड़ : लाभ-हानि लेखाओं से हस्तांतरण	2500.00		700.00	
		43641.66		41141.66
अधिशेष				
लाभ-हानि खाता इतिशेष		43.75		46.56
		43704.94		**41207.74**
3. आस्थगित देयताएँ*				
45 वर्षों के लिए घटक		5085.47		5476.66
		5085.47		**5476.66**
* इनमें वे राशियाँ सम्मिलित हैं जो भुगतान के लिए 12 महीने में देय हो जाती हैं.		-		195.60

31 मार्च 2011 तक लेखाओं की अंगभूत अनुसूचियाँ

4. स्थायी परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख)

विवरण	सकल निरुद्ध				मूल्य ह्रास/क्रमिक अपाकरण				निवल मालियत	
	वर्ष के आरंभ में लागत स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर लागत स्थिति	वर्ष के आरंभ में संचित मूल्य ह्रास / क्रमिक अपाकरण	वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास / क्रमिक अपाकरण $	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर संचित मूल्य ह्रास / क्रमिक अपाकरण	31 मार्च 2011 की स्थिति	31 मार्च 2010 की स्थिति
मूर्त परिसंपत्तियाँ										
भूमि @	662.80	-	-	662.80					662.80	662.80
इमारतें *	7605.69	52.13	-	7657.82	3763.28	211.21	-	3974.49	3683.33	3842.41
तार घेरा तथा चार दीवारी	576.20	2.92	-	579.12	286.20	22.54	-	308.74	270.38	290.00
सड़कें तथा नालियाँ	636.64	104.41	-	741.05	399.08	26.04	-	425.12	315.93	237.56
जल आपूर्ति व्यवस्था	567.31	8.17	-	575.48	546.59	8.67	-	555.26	20.22	20.72
संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर #	18269.91	1563.47	19.88	19813.50	15516.98	674.23	19.88	16171.33	3642.17	2752.93
फर्नीचर एवं उपकरण	1100.96	128.67	-	1229.63	858.33	79.07	-	937.40	292.23	242.63
परिवहन वाहन	322.01	84.22	12.00	394.23	225.04	27.21	12.00	240.25	153.98	96.97
कुल	**29741.52**	**1943.99**	**31.88**	**31653.63**	**21595.50**	**1048.97**	**31.88**	**22612.59**	**9041.04**	**8146.02**
विगत वर्ष	28664.30	1114.53	37.31	29741.52	20706.00	924.25	34.75	21595.50	8146.02	7958.30
अमूर्त परिसंपत्तियाँ										
विकास व्यय	5967.38	910.73	-	6878.11	1250.34	1512.00	-	2762.34	4115.77	4717.04
कंप्यूटर साफ़्टवेयर	38.78	40.28	-	79.06	37.77	13.21	-	50.98	28.08	1.01
कुल	**6006.16**	**951.01**	**-**	**6957.17**	**1288.11**	**1525.21**	**-**	**2813.32**	**4143.85**	**4718.05**
विगत वर्ष	2100.37	3905.79	-	6006.16	708.43	579.68	-	1288.11	4718.05	1391.94
कुल योग	**35747.68**	**2895.00**	**31.88**	**38610.80**	**22883.61**	**2574.18**	**31.88**	**25425.91**	**13184.89**	**12864.07**
विगत वर्ष	30764.67	5020.32	37.31	35747.68	21414.43	1503.93	34.75	22883.61	12864.07	9350.24

@ भारत सरकार के संगठन को 5 एकड़ तथा 01 गुण्टा भूमि लीज़ पर दी गयी और इस पर उनका स्वामित्व है.

* जिस पर कंपनी की माल्कियत नहीं है ऐसी भूमि पर निर्मित इमारतों का मूल्य ₹ 111.01 (विगत वर्ष ₹ 111.01 लाख) सम्मिलित है.

₹ 185.23 (विगत वर्ष ₹ 185.23) सकल मूल्य की सक्रिय उपयोग में अनुपयुक्त सामग्री मदें सम्मिलित.

$ पूर्वावधि मूल्य-ह्रास सम्मिलित शून्य (₹ 12.68 विगत वर्ष)

31 मार्च 2011 तक लेखाओं की अंगभूत अनुसूचियाँ

(₹ लाख)

		31 मार्च 2011		31मार्च 2010	
5.	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य (लागत पर)				
	इमारतें		1289.88		360.69
	सड़कें एवं नालियाँ		4.46		-
	निरीक्षणाधीन तथा मार्गस्थ				
	मशीनरी व उपकरण		911.80		276.20
	फर्नीचर तथा उपकरण		-		4.84
	गैर प्रभाजन परामर्श शुल्क		4.00		52.18
	मूर्त परिसंपत्तियाँ - विकास व्यय		-		23.12
			2210.14		**717.03**
6.	विशेष औज़ार एवं उपकरण (अक्रमिक अपाकरण-लागत पर)				
	वर्ष प्रारंभ की लागत स्थिति		9666.77		9577.04
	वर्ष के दौरान वृद्धि		530.73		794.85
			10197.50		10371.89
	घटाव : समायोजन		-		705.12
			10197.50		9666.77
	घटाव : क्रमिक अपाकरण		9269.33		8208.91
			928.17		**1457.86**
7.	निवेश लागत दर पर (गैर-व्यापारिक / असूचित दर)				
	9,21,920 ₹ के (3,85,920 बोनस शेयर के साथ) ए पी गैस पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण प्रदत्त		53.60		53.60
	प्रति शेयर 10/-₹ ईक्विटी शेयर		**53.60**		**53.60**
8.	आस्थगित ऋण (अप्रतिभूत)				
	शोध्य				
	45 वर्ष के घटकों के लिए		**4944.98**		**5325.37**

31 मार्च 2011 तक लेखाओं की अंगभूत अनुसूचियाँ

(₹ लाख)

	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
9. सामग्री सूची * (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)				
भण्डार :				
कच्चा माल तथा घटक	29312.16		30332.09	
भण्डार एवं पुर्ज़े	861.76		826.20	
निर्माण सामग्री	1.26		8.10	
शिथिल औज़ार	737.90		648.29	
	30913.08		31814.68	
घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	770.27		881.32	
		30142.81		30933.36
संव्यवहाराधीन भण्डार	150.61		150.81	
घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	15.09		15.09	
		135.52		135.72
निर्माणाधीन कार्य	17864.70		20682.05	
घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	53.66		192.44	
		17811.04		20489.61
भण्डार तथा उपकरण - कल्याण				
अथशेष	3.62		2.57	
निरीक्षणाधीन तथा मार्गस्थ माल	22.35		9.02	
	25.97		11.59	
वर्ष के दौरान क्रमिक अपाकरण	17.78		7.97	
	-	8.19	-	3.62
विविध भण्डार		17.57		17.91
		48115.13		51580.22
निरीक्षणाधीन तथा मार्गस्थ माल				
कच्चा माल तथा घटक	2058.07		5365.92	
भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्ज़े	20.20		52.00	
शिथिल औज़ार	25.72		28.18	
	-	2103.99	-	5446.10
		50219.12		**57026.32**
* उप ठेकेदारों / अन्य को जारी की गयी सामग्री सम्मिलित		3813.66		1863.35
10. विविध देनदार				
अप्रतिभूत - शोध्य				
6 महीनों से अधिक अवधि के लिए				
अन्य बकाया ऋण		1327.73		345.68
अन्य देनदार		3186.86		3012.22
		4514.59		**3357.90**

31 मार्च 2011 तक लेखाओं की अंगभूत अनुसूचियाँ

(₹ लाख)

	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
11. नक़द तथा बैंक में शेष				
नक़द राशि तथा चैक*		8.13		6.37
अनुसूचित बैंकों में इतिशेष				
चालू खाते से संबद्ध		1811.93		1224.39
अल्पावधि निक्षेपों से संबद्ध		400263.30		152101.70
		402083.36		**153332.46**
* अग्रदाय धारकों के पास जमा राशि सम्मिलित		0.71		0.98
12. ऋण तथा अग्रिम				
अग्रिम (प्राप्य मूल्य के संबंध में, नक़द या वस्तु-रूप में)				
प्रतिभूत - कर्मचारी		173.76		217.42
अन्य		5920.66		6976.10
अप्रतिभूत - शोध्य				
माल एवं सेवाएँ	12462.45		16373.27	
घटाव : संदेहात्मक अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.41		0.41	
		12462.04		16372.86
पूँजी परिसंपत्तियाँ		2673.94		-
कर्मचारी **		128.58		829.10
उपार्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं		4461.33		1980.62
प्राप्य दावे	2501.39		2827.48	
घटाव : संदेहात्मक दावों के लिए प्रावधान	65.80		65.80	
		2435.59		2761.68
जमा राशियाँ				
सरकारी विभाग		0.81		-
सार्वजनिक लाभकारी संस्थाओं के पास		172.16		191.73
अन्य		12.33		12.33
पूर्व प्रदत्त देय		23.09		142.57
अग्रिम आयकर (प्रावधानों के निवल)		542.34		748.00
प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट		1026.14		279.33
		30032.77		**30511.74**
** (ए) कंपनी के अधिकारियों के पास बकाया		-		0.15
(बी) कंपनी के अधिकारियों के पास वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिक से अधिक बकाया राशि		1.54		1.03

31 मार्च 2011 तक लेखाओं की अंगभूत अनुसूचियाँ

(₹ लाख)

	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
13. चालू देयताएँ तथा प्रावधान				
चालू देयताएँ				
विविध ऋणदाता		18622.79		13347.87
भारत सरकार से अग्रिम		397948.25		158424.35
अन्य अग्रिम		5368.58		8394.37
निक्षेप		429.61		364.39
अन्य देयताएँ		16031.26		17488.60
		438400.49		**198019.58**
प्रावधान				
परिसमापन क्षतियाँ		2300.00		2300.00
लाभांश कर		373.12		382.00
प्रतिस्थापन व अन्य प्रभार, वारंटी तथा बैच अस्वीकृतियाँ		1669.22		1541.27
परिसमापन क्षतियाँ		7690.45		5721.44
सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		296.02		220.08
		12328.81		**10164.79**
		450729.30		**208184.37**

31 मार्च 2011 तक लेखाओं की अंगभूत अनुसूचियाँ

(₹ लाख)

	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
14. बिक्री				
तैयार माल		84799.97		58325.53
मरम्मत तथा ओवरहाल		461.10		272.67
पुर्ज़े		5135.46		3151.43
विविध		2398.43		344.92
जॉब वर्क		1031.74		584.91
		93826.70		62679.46
पूर्वावधि मदें		82.88		43.22
सकल बिक्री		**93909.58**		**62722.68**
15. निर्माणाधीन कार्य तथा कार्यगत भण्डार में वृद्धि / (अपवृद्धि)				
अथशेष				
(i) निर्माणाधीन कार्य		20682.05		20065.43
(Ii) कार्यगत भण्डार		150.81		329.52
		20832.86		**20394.95**
इतिशेष				
(i) निर्माणाधीन कार्य		17864.70		20682.05
(Ii) कार्यगत भण्डार		150.61		150.81
		18015.31		**20832.86**
वृद्धि/(अपवृद्धि)		**(2817.55)**		**437.91**
16. अन्य आय				
परिवहन - कर्मचारी		15.92		24.01
रद्दी तथा अवशिष्ट माल / अनुपयुक्त भण्डार का निपटान		15.72		42.15
ब्याज :				
अल्पावधि निक्षेप		10494.52		12639.14
विविध अग्रिम - कर्मचारी तथा अन्य		132.24		50.49
अन्य निक्षेपों पर		4.61		152.73
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)		6.11		5.63
टाउनशिप		126.43		78.71
विविध *		3579.14		2047.59
		14374.69		15040.45
पूर्वावधि मदें		-		1.99
		14374.69		**15042.44**
* सम्मिलित				
ए) दीर्घावधि तक आवश्यक नहीं ऐसे प्रावधान		2999.55		1563.02
बी) देयताओं की वापसी		5.37		195.07
सी) विनिमय विभेदक		239.00		80.65
डी) आपूर्तिकर्ताओं से परिसमापन क्षतियों की वसूली		107.59		82.48

31 मार्च 2011 तक लेखाओं की अंगभूत अनुसूचियाँ

(₹ लाख)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
17.	**कच्चेमाल, घटक, भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्ज़ों की खपत**			
	भण्डार का अथशेष	31814.68		42014.34
	जोड़ : क्रय	63714.64		40906.61
		95529.32		82920.95
	घटाव : भण्डार का इतिशेष	30913.08		31814.68
		64616.24		51106.27
	घटाव : भण्डार की प्रयुक्ति			
	विकास व्यय	39.39		3125.58
	टूल्स एवं जिग्स पर	44.10		3.65
	पूँजीगत कार्य	0.56		39.16
	खर्च लेख तथा अन्य	6518.01		4136.99
		6602.06		7305.38
		58014.18		**43800.89**
18.	**प्रत्यक्ष व्यय**			
	उपस्कर क्रमिक अपाकरण	1,060.42		381.84
	अन्य	24.21		73.92
		1084.63		**455.76**
19.	**वेतन तथा मजदूरी ***			
	मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि	12315.54		11830.79
	अनुषंगिक लब्धियाँ तथा भत्ते	4607.60		1984.64
	अधिकारियों के लिए भाड़े पर आवास व्यवस्था का किराया	16.40		17.37
	कार्यनिष्पादन संबंधी भुगतान व प्रोत्साहन	1678.30		714.18
	सेवा निवृत्ति लाभ			
	छुट्टी वेतन	1860.79		874.38
	भविष्य निधि में अंशदान	1374.60		972.32
	पेंशन में अंशदान	179.47		174.30
	उपदान निधि	1411.82		1305.58
	सेवा निवृत्ति उपरान्त चिकित्सा लाभ	8.76		10.21
		23453.28		**17883.77**
	*** निदेशकों का पारिश्रमिक सम्मिलित :**			
	मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि	78.78		34.21
	उपचित छुट्टी वेतन	2.15		5.60
	भविष्य निधि तथा पेंशन निधि में अंशदान	5.93		8.47
	उपदान निधि में अंशदान तथा सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा बीमा	3.37		1.10
	छुट्टी यात्रा रियायत	0.28		-
	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0.60		2.04
	आवास व्यवस्था के लिए किराया	17.79		16.52
		108.90		**67.94**

31 मार्च 2011 तक लेखाओं की अंगभूत अनुसूचियाँ

(₹ लाख)

	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
20. अन्य व्यय				
वर्कशापों से संबद्ध आपूर्ति		306.95		132.09
बिजली तथा ईंधन		709.86		540.99
पानी का प्रभार		126.78		130.53
यात्राएँ *		394.23		318.37
मरम्मत :				
इमारतें		793.49		542.43
संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर		652.97		539.20
फर्नीचर तथा उपस्कर		2.95		2.59
वाहन		16.98		20.57
अन्य		1.60		59.41
वाहन व्यय - पेट्रोल तथा डीज़ल		48.48		41.33
शिथिल औज़ार तथा उपस्कर		119.99		89.93
बीमा		77.89		61.69
दरें तथा कर		134.55		66.85
डाक तथा दूरभाष		107.58		100.86
मुद्रण तथा लेखन सामग्री		70.20		63.15
प्रचार-प्रसार		47.75		22.29
विज्ञापन		97.55		48.75
बैंक प्रभार		40.42		50.16
विधि व्यय		5.36		6.33
दान		0.10		0.10
बट्टा खाता :				
भण्डार		-		0.53
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण		0.31		0.51
अन्य		3.92		1.01
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक :				
लेखापरीक्षा शुल्क		2.21		2.76
अन्य सेवाएँ **		0.22		0.22
दस्तावेजीकरण शुल्क एवं व्यय		0.44		1.00
सुरक्षा व्यवस्था		1238.27		1699.93
परिसमापन क्षतियाँ		1301.13		436.48
कंप्यूटर साफ्टवेयर		2.63		7.89
विविध परिचालन व्यय $		1672.66		1395.35
		7977.47		**6383.30**
* प्रबंध निदेशक तथा अन्य निदेशकों के यात्रा संबंधी व्यय सम्मिलित		68.39		41.54
** कराधान लेखापरीक्षा		0.22		0.22
$ सम्मिलित (i) मनोरंजन		0.14		0.78
(ii) शिष्टाचार		123.53		45.78
(iii) अंतरीय विनिमय		197.99		203.59
(iv) निदेशकों का प्रतिभागिता शुल्क		0.35		1.00

31 मार्च 2011 तक लेखाओं की अंगभूत अनुसूचियाँ

(₹ लाख)

	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
21. प्रावधान				
प्रतिस्थापन व अन्य प्रभार, वारंटी तथा बैच अस्वीकृतियाँ		974.24		1000.53
निष्प्रयोजनीयता		417.19		676.48
परिसमापन क्षति		3455.05		1849.84
सेवा निवृत्ति उपरान्त चिकित्सा लाभ		75.94		111.34
		4922.42		**3638.19**
22. पूँजीगत एवं अन्य लेखों से संवद्ध व्यय				
विकास व्यय के लिए				
विकास व्यय		322.75		250.60
टूल्स व जिग्स		330.19		270.24
अन्य		42.02		95.92
		694.96		**616.76**

31 मार्च 2011 तक लेखाओं की अंगभूत अनुसूचियाँ

23. 31 मार्च 2011 को समाप्त तुलन-पत्र तथा 31 मार्च 2011 को ही समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते के साथ संलग्न लेखाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
अनिवार्य प्रकटीकरण		
अप्रावधानित आकस्मिक देयताओं के लिए :		
1 बकाया साख-पत्र तथा प्रतिभूतियाँ :		
(i) बकाया साख-पत्र	9840.31	1846.51
(ii) प्रत्याभूतियाँ और प्रति-प्रत्याभूतियाँ	32.92	11.89
कुल	**9873.23**	**1858.40**
2 कंपनी के विरुद्ध जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया ऐसे दावे/ऐसी मांगें :		
(i) बिक्री कर	14449.88	14165.53
(ii) अन्य	1022.44	858.26
कुल	**15472.32**	**15023.79**
3 पूँजीगत लेखों के अंतर्गत बकाया निष्पादित लेखों की अनुमानित राशि तथा अप्रावधानित के लिए :	**2911.38**	**798.23**
4 दिनांक 08 फरवरी 2011 की अधिसूचना सं एस.ओ. 301(ई) के तहत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की षष्टम् अनुसूची के द्वितीय भाग के परिच्छेद 3(i) (ए), 3 (ii)(ए), 3(ii) डी, 4-सी, 4-डी (ए) से (ई) तक (डी) छोड़कर के अनुपालन की छूट दी है. आगे, कंपनी अधिनियम, 1956 की षष्टम अनुसूची के भाग-IV के परिच्छेद V के प्रकटन से छूट प्राप्त की गयी है.		
5 बहुत छोटी, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम के अंतर्गत जानकारी :		
(i) वर्ष की समाप्ति पर पूर्तिकर्ता के लिए बाकी मूल धन एवं ब्याज का भुगतान	388.46	105.10
(ii) लेखा वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद पूर्तिकर्ता के लिए भुगतान की गयी राशि सहित ब्याज राशि	शून्य	लागू नहीं
(iii) भुगतान में की गयी विलंब की अवधि के लिए देय एवं बकाया ब्याज राशि (अधिनियम में निर्धारित ब्याज के बिना नियत तिथि के बाद किया गया भुगतान).	3.52	1.45

लेखा मानकों से संबंधित प्रकटीकरण

6 एक लाख रुपय से अधिक के पूर्वावधि लेन-देन के प्रत्येक मामले को लेखाओं में यथावत् प्रकट किया गया है. इस तरह के लेन-देन से वर्ष के लाभ में 44.26 लाख रु. की वृद्धि (पिछले वर्ष में रु. 32.53 लाख की वृद्धि) जो निम्नानुसार है :

(₹ लाख)

क्र. सं.	विवरण	अनुसूची सं.	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
			लाभांश में कमी	लाभांश में वृद्धि	लाभांश में कमी	लाभांश में वृद्धि
1	बिक्री	14	-	82.88	-	43.22
2	अन्य आय	16	-	-	-	1.99
3	मूल्य-ह्रास/क्रमिक अपाकरण	4	-	-	12.68	
	कुल		-	82.88	12.68	45.21
	लाभ पर निवल प्रभाव → वृद्धि/(अपवृद्धि)			**82.88**		**32.53**

(₹ लाख)

		चालू वर्ष (₹)	विगत वर्ष (₹)
7	अंकित मूल्य पर सरकार से नि:शुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ (₹ में)	115	272
8	प्रारक्षित पूँजी में अंकित मूल्य पर ग्राहक से प्राप्त नि:शुल्क परिसंपत्तियों का मूल्य भी शामिल है.		
9	ए एस 11 के अनुसार विदेश विनिमय दर में हुए परिवर्तन का प्रभाव	(₹ लाख)	(₹ लाख)
	ए) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में समायोजित विभेदक विनिमय दर की राशि वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में समायोजित विभेदक विनिमय दर की राशि	0.00	0.46
	बी) स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में लाभ हानि लेखा में सूचित विनिमय-दर विचलन	शून्य	शून्य
	सी) ऋण का पुनर्निर्धारित भाग संलेख पर लागू विनिमय-दर पर मूल्यांकित है. विनिमय दर विलयन का इस पर प्रभाव :		
	i) कंपनी से संबंधित बढ़ी देयताएँ	48.26	51.97
	ii) ग्राहक की देयता को देय लेखा में समान राशि के प्राप्य दावों के साथ दर्शाया गया है जो कि बीडीएल पर हस्तांतरित नहीं है.	1746.78	1829.18

10	ए	उपदान उपदान के संबंध में संशोधित लेखों के मानक 15 के प्रावधान के अनुसार सूचना निम्नप्रकार है : (₹ लाख)		
	1	धाराएँ	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
		ए) रियायती दर (प्रति वर्ष)	8%	8%
		बी) वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	6%	6%
	2	वर्तमान दर में दायित्व दर्शाती तालिका		
		ए) वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान दर	6985.31	6048.99
		बी) ब्याज लागत	558.82	483.92
		सी) वर्तमान सेवा लागत	281.69	263.96
		डी) वास्तविक प्रदत्त लाभ	1465.40	274.59
		ई) वर्ष के अंत तक संभावित देयताएँ	6360.42	6522.28
		एफ) वष के अंत तक दायित्व का वर्तमान दर	8004.54	6985.31
		जी) वास्तविक लाभ/(हानि)	(1644.12)	(463.03)
	3	योजित दर में दायित्व दर्शाती तालिका		
		ए) वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5393.01	4092.43
		बी) योजित परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	628.41	370.60
		सी) योगदान	2446.90	1204.57
		डी) प्रदत्त लाभांश	1465.40	274.59
		ई) योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ /(हानि)	-	-
		एफ) वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	7002.92	5393.01
	4	योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य की तालिका		
		ए) वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5393.01	4092.43
		बी) योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	628.41	370.60
		सी) योगदान	2446.90	1204.57
		डी) प्रदत्त लाभांश	1465.40	274.59
		ई) वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	7002.92	5393.01
		एफ) आबंटित निधि की स्थिति	(1001.62)	(1592.30)
		जी) योजित परिसंपत्तियों की अनुमानित प्राप्तियों पर वास्तविक आधिक्यता	-	-
	5	वास्तविक हानि या प्राप्ति		
		ए) वर्ष के लिए दायित्व-वास्तविक हानि	(1644.12)	(463.03)
		बी) वर्ष के लिए योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक हानि	-	-
		सी) वर्ष के लिए कुल हानि	(1644.12)	(463.03)
		डी) सूचित वास्तविक हानि	(1644.12)	(463.03)

6	तुलन-पत्र में सूचित राशि		
	ए) वर्ष के अंत तक दायित्व का वर्तमान मूल्य	8004.54	6985.31
	बी) वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	7002.92	5393.01
	सी) आबंटित निधि की स्थिति	(1001.62)	(1592.30)
	डी) तुलन-पत्र में सूचित निवल देयता / परिसंपत्ति	(1001.62)	(1592.30)
7	आकलित खर्च लाभ-हानि खाते का विवरण		
	ए) वर्तमान सेवा लागत	281.69	263.96
	बी) ब्याज लागत	558.82	483.92
	सी) योजित परिसंपत्तियों पर संभावित प्राप्ति	628.41	370.60
	डी) वर्ष के दौरान आकलित निवल वास्तविक लाभ /(हानि)	(1644.12)	(463.03)
	ई) लाभ-हानि खाते में आकलित व्यय #	1856.22	840.31
	# पिछले वर्ष से संबद्ध समायोजन सम्मिलित		
बी	क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ		
	कंपनी के कर्मचारियों की संचित अनुपस्थितियों की वास्तविक देयता	3846.52	2489.97
	रियायती दर	8%	8%
	वेतन वृद्धि दर	6%	6%
	सेवा निवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
सी	सेवा-निवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना		
	वर्ष के दौरान दिया गया योगदान	8.76	10.21
डी	परिवर्तनाधीन अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ की वर्तमान योजना के लिए अंशदान की चालू देयताएँ एवं प्रावधान (अनुसूची 13) एवं प्रावधान (अनुसूची 21) में शामिल किया गया है.	75.94	111.34

11 संव्यवहार की प्रकृति तथा प्रकटन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यही विवेक-शील समझा गया कि लेखा मानक-17 के अनुसार आवश्यक सेगमेंट रिपोर्टिंग की जानकारी का प्रकटन न किया जाए. इस प्रकार के अप्रकटन से कंपनी लेखों पर किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है.

12 संबंधित अनुसूची 19 तथा 20 में दर्शायी गयी जानकारी के अनुसार केवल पूर्ण निदेशकों को देय पारिश्रमिक को छोड़कर रकसी भी संबद्ध पार्टी के साथ (ए एस 18) लेन-देन नहीं किया है.

13 ए एस-20 के अनुसार परिकलित प्रति शेयर (मूल) अर्जन

विवरण	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
कराधान के बाद निवल लाभ (लाख रु. में)	5170.31	3376.82
प्रति शेयर ₹ 1000/- अंकित मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयरों की संख्या	1150000	1150000
मूल तथा विलयित अर्जन प्रति शेयर (रुपयों में)	449.59	293.64

संविलयन संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं है.

14 (ए) इस वर्ष की आस्थगित कर देयताएँ (एस-22) ₹1298.69 लाख है (विगत वर्ष ₹ 771.63 लाख की आस्थगित कर संपत्ति) जिसे लाभ-हानि लेखा में दर्शाया गया है. इस लेन-देन से लाभ पर ₹ 1298.69 लाख (वृद्धि) पिछले वर्ष ₹ 771.63 लाख (वृद्धि) का प्रभाव पड़ा है.

(बी) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं का विवरण इस प्रकार है :

चालू वर्ष ₹ लाख

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ का अथशेष	जमा / (प्रभार) पूर्व वर्ष	वर्ष के दौरान ऋण / (प्रभार)	वर्ष के अंत का इति शेष
1	आस्थागित कर परिसंपत्तियाँ				
	ए) प्रावधान	2956.99		635.41	3592.40
	बी) धारा 43बी अस्वीकरण	433.61	(80.85)	488.53	841.29
	सी) आस्थगित राजस्व व्यय	144.93	-		144.93
	डी) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति क्रमिक अपाकरण	20.04		(19.58)	0.46
		3555.57	**(80.85)**	**1104.36**	**4579.08**
2	आस्थगित कर देयताएँ				
	ए) मूल्य-ह्रास तथा संबंधित मदें	918.32	2.56	(361.43)	559.45
	बी) आस्थगित राजस्व व्यय	914.83		256.71	1171.54
		1833.15	**2.56**	**(104.72)**	**1730.99**
3	निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)	**1722.42**	**(83.41)**	**1209.08**	**2848.09**

विगत वर्ष ₹ लाख

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ का अथशेष	जमा / (प्रभार) पूर्व वर्ष	वर्ष के दौरान ऋण / (प्रभार)	वर्ष के अंत का इति शेष
1	आस्थागित कर परिसंपत्तियाँ				
	ए) प्रावधान	2251.64		705.35	2956.99
	बी) धारा 43बी अस्वीकरण	514.84	667.87	(749.10)	433.61
	सी) आस्थगित राजस्व व्यय	143.91	1.02		144.93
	डी) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति क्रमिक अपाकरण	71.55		(51.51)	20.04
		2981.94	668.89	(95.26)	3555.57
2	आस्थगित कर देयताएँ				
	ए) मूल्य-ह्रास तथा संबंधित मदें	1206.57	(54.71)	(233.54)	918.32
	बी) आस्थगित राजस्व व्यय	824.58		90.25	914.83
		2031.15	(54.71)	(143.29)	1833.15
3	निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)	950.79	723.60	48.03	1722.42

15	उत्पाद सुधार सहित अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया व्यय पूँजीगत स्वरूप का नहीं है. इसे संबंधित समरूप लेखा शीर्षों में प्रभारित किया गया है.	1085.64	590.80
16	वर्ष के दौरान एस 28 के अनुसार इंपेर्मेंट हानि पायी गयी.	शून्य	शून्य
17	प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएँ - प्रस 29 के अनुसार आवश्यकता का प्रकटीकरण इस प्रकार है :		

चालू वर्ष ₹ लाख

क्र. सं.	प्रावधान का प्रकार	वर्ष के आरंभ का अथशेष	वर्ष के दौरान रखा गया प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रयुक्ति	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत का इति शेष
1	आयकर	(748.00)	3871.56	3665.91	-	(542.35)
2	अनुषंगी लाभ कर	-	-		-	
3	लाभांश	2300.00	2300.00	2300.00		2300.00
4	लाभांश कर	382.00	373.12	382.00		373.12
5	वारंटी	1541.27	974.24		846.28	1669.23
6	परिसमापन क्षति	5721.44	3455.05	723.09	762.95	7690.45
7	अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ	220.08	75.94			296.02
8	अनावश्यक	1088.85	417.19	0.28	666.74	839.02
9	संदिग्ध अग्रिम / दावे	66.21		-		66.21
10	अन्य	-	-			-
		10571.85	**11467.10**	**7071.28**	**2275.97**	**12691.70**

विगत वर्ष ₹ लाख

क्र. सं.	प्रावधान का प्रकार	वर्ष के आरंभ का अथशेष	वर्ष के दौरान रखा गया प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रयुक्ति	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत का इति शेष
1	आयकर	(2103.44)	2456.57	1101.13		(748.00)
2	अनुषंगी लाभ कर	3.63	0.75	4.38		-
3	लाभांश	2300.00	2300.00	2300.00		2300.00
4	लाभांश कर	390.89	382.00	390.89		382.00
5	वारंटी	1117.78	1000.53		577.04	1541.27
6	परिसमापन क्षति	4491.15	1849.84	369.29	250.26	5721.44
7	अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ	108.74	111.34			220.08
8	अनावश्यक	778.70	676.48	2.05	364.28	1088.85
9	संदिग्ध अग्रिम / दावे	66.29		-	0.08	66.21
10	अन्य	8.58	-		8.58	-
		7162.32	**8777.51**	**4167.74**	**1200.24**	**10571.85**

टिप्पणी : 1 एवं 2 में संदर्भित आकस्मिक देयताएँ संविदा दायित्वों की शर्तों पर, अवक्रमण, संबंधित पार्टियों द्वारा उठायी जाने वाली माँगों तथा न्यायालय/विवेचन/कोर्ट के बाहर के समझौते/अपीलों के निपटान पर आधारित हैं.

अन्य प्रकटीकरण

18 राज्य सरकार से मुफ्त में प्राप्त 151 एकड़ 33 गुंटे ज़मीन मिलाकर हस्तांतरण से संबंधित लंबित पड़े 356 एकड़ भूमि 24 गुंटे ज़मीन के लिए (पिछले वर्ष 356 एकड़ 24 गुंटे ज़मीन) वर्ष के दौरान 443.41 लाख ₹) इस रूप में पूँजीगत किए गए जैसे कि कंपनी द्वारा इसका भुगतान/प्रावधान पहले ही कर दिया गया है.

19 देनदार और लेनदारों, प्राप्य दावे, ठेकेदारों/उप ठेकेदारों के पास पड़ी सामग्री, अग्रिम, निक्षेप तथा अन्य मदों के संबंध में अधिशेष की पुष्टि संबंधी अनुरोध पत्र भेजे जा चुके हैं. प्राप्त उत्तरों के आधार पर यथावश्यक आमेलन/प्रावधान/समायोजन किए जा रहे हैं.

20 पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य भवन शीर्ष के अंतर्गत 40.09 लाख ₹ (पिछले वर्ष 40.09 लाख ₹) मूल्य की इमारतें सम्मिलित हैं. जिनका निर्माण आस्थगित रखा गया है. विवादित ज़मीन संबंधी मामलों के लिए उप जिलाधीश तथा तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्ति के बाद कंपनी ने इस उत्पन्न विवाद के वास्तविक तथ्य को जानने के लिए सहायक निदेशक, सर्वेक्षण, निपटान तथा लैंड रिकॉर्ड्स, रंगारेड्डी से रिपोर्ट प्राप्ति के बाद लेखा पुस्तिकाओं में आवश्यक समायोजन किया जाएगा.

21 कुछ परियोजनाओं के संबंध में हमारे प्रमुख से संबद्ध बिक्री कार्य ठेके की प्रकृति के हैं. सामग्री सूची में शामिल सामग्री, जिसे ग्राहक की ओर से/ग्राहक के लिए खरीदा गया/विनिर्मित सामग्री के संबंध में कंपनी को कोई स्वामित्वाधिकार/निपटान का अधिकार प्राप्त नहीं है.

22 अन्य आय के रूप में ₹ 14374.69 लाख (पिछले वर्ष 15042.44 लाख ₹) (अनुसूची) प्राप्त अग्रिम पर भारत सरकार को ₹ 213.83 लाख (पिछले वर्ष 465.75 लाख ₹) रुपय समायोजित करने के बाद आयी है.

23 ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम ₹ 42686.39 लाख (पिछले वर्ष ₹ 15725.50) की राशि में से कंपनी ने दो परियोजनाओं के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं को विशेष यंत्र एवं उपकरणों की खरीद तथा सामग्री संग्रहण के लिए भुगतान किया है. इसमें ₹114.05 लाख (पिछले वर्ष ₹114.05 लाख) राशि के विशेष यंत्र एवं उपकरण (अनुसूची 6) शामिल हैं, आपूर्तिकर्ता के नामे चालू परिसंपत्तियाँ व ऋण तथा अग्रिम (अनुसूची 9 से 12) मिलाकर ₹ 11014.16 लाख (पिछले वर्ष ₹ 11014.05 लाख) तथा ₹ 7906.73 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1630.48 लाख) सामग्री संग्रहण लेखा से संबंधित है. इन सब की कुल राशि मिलाकर ₹ 19034.16 लाख (पिछले वर्ष ₹ 12758.79 लाख) हैं जिससे कंपनी ने इन परिसंपत्तियों का अपने खर्च पुख़्ता आदेशों की प्राप्ति व ग्राहकों से प्राप्त निधि में से किया है जिसमें दीर्घावधि अग्रिम तथा अचल विशेष उपकस्करों व सामग्री से कंपनी को कोई हानि नहीं है. अत: किसी प्रावधान की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी.

24 पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकता अनुरूप पुनर्समूहित या पुनर्व्यवस्थित किया गया है. ऋणात्मक संख्याएँ कोष्ठक में दिखायी गयी हैं.

संलग्न 1 से 23 तक की अनुसूचियाँ तथा लेखा-नीतियाँ इन लेखाओं के अंगभूत अंश हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप
कृते डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी
पंजीकरण सं. 002918S
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एम वी शर्मा (एम नं.205313)
भागीदार

एस वी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)

मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि.से.मे. (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थानः हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

एच वी मूर्ति
कंपनी सचिव

31 मार्च 2011 का समाप्त वर्ष के लिए नक़द प्राप्ति विवरण

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
ए. परिचालनीय कार्यकलापों से नक़द प्राप्त				
कराधान से पूर्व निवल लाभ तथा असाधारण मदें		7916.55		5062.51
समायोजन :				
मूल्य ह्रास एवं क्रमिक अपाकरण	3602.72		1851.01	
ब्याज से आय	(10631.37)		(12842.36)	
ब्याज से व्यय	6.77		1.64	
कार्यगत पूँजी के परिवर्तनों से पूर्व परिचालनीय लाभ	894.67		(5927.20)	
(वृद्धि)/अपवृद्धि विविध देनदारों में	(1156.69)		(2463.23)	
(वृद्धि)/अपवृद्धि सामग्री-सूची में	6807.20		5284.75	
(वृद्धि)/अपवृद्धि ऋणों तथा अग्रिमों में (अग्रिम कर, उपचित ब्याज छोडकर)	2754.02		(5452.33)	
(वृद्धि)/अपवृद्धि आस्थगित राजस्व व्यय में			0.00	
वृद्धि/(अपवृद्धि) विविध देनदारों, देयताओं एवं प्रावधानों में	242553.81		(9361.25)	
परिचालन से अर्जित नक़द	251853.01		(17919.26)	
प्रदत्त आय कर	(4048.24)		(1496.40)	
असाधारण मदों से पूर्व नक़द प्राप्ति	247804.77		(19415.66)	
असाधारण मदों से प्राप्त	-		-	
परिचालनीय कार्यकलापों से निवल नक़द (ए)		247804.77		(19415.66)
बी. विनियोजन कार्यकलापों से नक़द प्राप्त				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(4924.95)		(6254.03)	
परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि	37.99		42.94	
प्राप्त ब्याज	8150.66		13309.55	
विनियोजित कार्यकलापों से निवल नक़द (बी)		3263.70		7098.46
सी. वित्तीय कार्यकलापों से नक़द प्राप्त				
आस्थगित देयताओं का पुनर्भुगतान	(391.19)		(195.64)	
आस्थगित ऋणों में अपवृद्धि	380.39		190.19	
प्रदत्त ब्याज	(6.77)		(1.64)	
प्रदत्त लाभांश	(2300.00)		(2300.00)	
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नक़द (सी)		(2317.57)		(2307.09)
निवल वद्धि/(अपवृद्धि) नक़द तथा नक़द तुल्यों में		248750.90		(14624.29)
वर्ष के प्रारंभ में नक़द एवं नक़द तुल्य		153332.46		167956.75
वर्ष के अंत में नक़द एवं नक़द तुल्य		402083.36		153332.46

कृते डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एम वी शर्मा (एम नं.205313)
भागीदार
स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

एस वी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)
स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि.से.मे. (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

एच बी मूर्ति
कंपनी सचिव

कंपनी अधिनियम 1956 की चतुर्थ अनुसूची के छठे भाग के अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त सूचना

तुलन-पत्र सार तथा उद्यम के संव्यवहार की सामान्य रूप-रेखा

I. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या (सीआईएन): यू 2 4 2 9 2 ए पी 1 9 7 0 जी ओ आई 0 0 1 3 5 3

तुलन-पत्र की तारीख : 3 1 0 3 2 0 1 1

II. वर्ष के दौरान समेकित पूँजी (राशि हज़ार ₹ में)

पब्लिक इश्यू	राइट्स इश्यू
शून्य	शून्य
बोनस इश्यू	गैर सरकारी नियोजन
शून्य	शून्य

III. निधि संग्रह तथा प्रतिनियोजन की स्थिति (राशि हज़ार ₹ में)

कुल देयताएँ	कुल परिसंपत्तियाँ
51101971	51101971

निधियों के स्रोत :

प्रदत्त पूँजी	प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि
1150000	4370494
जमानती ऋण	गैर जमानती ऋण
शून्य	508547

निधियों की प्रयुक्ति :

निवल स्थायी परिसंपत्तियाँ	निवेश
1632320	5360
निवल वर्तमान परिसंपत्तियाँ	विविध व्यय
4391361	शून्य
संचित हानि	
शून्य	

IV. उद्यम का कार्यनिष्पादन (राशि हज़ार ₹ में)

पण्यावर्त	कुल व्यय
9390958	8599303
कराधान पूर्व लाभ	कराधान के बाद लाभ
791655	517031
प्रति शेयर पर आय ₹ में	लाभांश दर %
450	20.00

V. उद्यम के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम (वित्तीय अभिव्यक्ति के अनुसार) प्रकटन से मुक्ति की मांग की जा रही है.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप
कृते डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एम वी शर्मा (एम नं.205313)
भागीदार
स्थान: हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

एस वी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)
स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि.से.मे. (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

एच वी मूर्ति
कंपनी सचिव

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

भारत डायनामिक्स लिमिटेड,

हैदराबाद.

हमने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 तक के तुलन-पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्नित लाभ-हानि लेखों तथा नक़द प्राप्ति विवरण की लेखापरीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणिकाओं का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है तथा इन विवरणिकाओं पर लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय देना हमारी जिम्मेदारी है.

1. हमने लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की है. इन मानकों में अपेक्षित होता है कि हम लेखापरीक्षा की योजना तथा कार्यनिष्पादन से उचित आश्वासन कायम कर सकें कि ये वित्तीय विवरणिकाएँ वास्तविक अकथनों से मुक्त हैं. लेखा परीक्षा में राशि तथा वित्तीय विवरणिकाओं के प्रकटीकरण के समर्थित साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच शामिल होती है तथा इसमें प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों के मूल्यांकन व प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ समग्र वित्तीय प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्रकट किये जानेवाले मत लेखा-परीक्षा आधारित होंगे.

2. भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 277 के उप खण्ड 4 (अ) के अनुबंधों के अनुसार विनिर्माता एवं अन्य कंपनियों के (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2003 की अपेक्षानुसार आदेश के परिच्छेद 4 तथा 5 में इस विषय पर निर्दिष्ट हमारा विवरण अनुलग्नक के साथ संलग्न है.

3. उपर्युक्त विषय से संबंधित अनुलग्नक में की गयी टिप्पणियों के अलावा कथन है कि :

ए) लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक सभी स्पष्टीकरण व सूचनाएँ हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार प्राप्त कर ली गयीं.

बी) हमारी राय में बही खातों के परीक्षण से विदित होता है कि कंपनी ने लेखा-बही विधि अनुरूप रखे हैं.

सी) इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नक़द प्राप्ति विवरण लेखा-पुस्तकों के अनुसार हैं.

डी) हमारी राय में, उद्धृत लेखा मानकों के पैरा 3 (एफ) (आई) को छोड़कर इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा, नक़द प्राप्त विवरणिकाएँ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा 3 (सी) के लेखा मानकों के अनुरूप रखे गये हैं.

ई) विधि, न्याय एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय के कंपनी मामलों के सामान्य परिपत्र सं.8/2002, दिनांक 22 मार्च, 2002 के अनुसार सरकारी कंपनियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. अतः किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है.

एफ) हमारी राय में तथा हमें प्राप्त जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पढ़े जाएँगे जो निम्नांकित होंगे.

i) टिप्पणी सं-11 से संदर्भित कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 211 (3ए) में आवश्यक गैर-प्रकटन

लेखा-नीति मानक एएस 17 द्वारा माँगी गयी सूचना. यद्यपि, इससे चालू वर्ष के लाभ-हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आवश्यक सूचना जिस रूप में दी जानी आवश्यक हो तथा भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य व स्पष्ट विचार दें :

(i) जहाँ तक दिनांक 31 मार्च, 2011 के अब तक के कंपनी-कार्यों से संबंधित तुलन-पत्र का संबंध है.

(ii) जहाँ तक इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ-हानि लेखे और लाभ का संबंध है. तथा

(iii) जहाँ तक इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की नक़द प्राप्ति, नक़द प्राप्ति विवरण का संबंध है.

कृते डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

एम वी शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं. 205213
पंजीकरण सं. 002918S

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई 2011

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के उपर्युक्त अनुच्छेद-2 के संबंध में उद्धृत

i) ए) कंपनी ने आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है जिसमें पूर्ण विवरणों के साथ-साथ मात्रात्मक विवरण व स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति भी दर्शायी गयी है.

बी) हमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का सत्यापन सावधिक एवं चरणबद्ध रूप से किया गया जो कंपनी के विस्तार और परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए ठीक है. ऐसे सत्यापन में सामग्री संबंधी कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई.

सी) हमारे विचार में वर्ष के दौरान कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग को बेचा नहीं है और इससे कंपनी की कारोबारी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

ii) ए) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन ने सामग्री सूचियों का नियमित अंतराल से प्रत्यक्ष सत्यापन किया है. हमारे विचार से ये सत्यापन कंपनी के विस्तार और संव्यवहार की दृष्टि से पर्याप्त अंतरालों पर किये गये हैं.

अन्य पार्टियों के पास पड़ी सामग्री के संबंध में कंपनी द्वारा ऐसे भण्डार के संबंध में पुष्टियाँ प्राप्त की और इन प्रत्युत्तरों के आधार पर, जहाँ भी प्राप्ती हुई हो, मिलान / प्रावधान / समायोजन किये गए.

बी) हमारे विचार से और हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार सामग्री सूचियन के प्रत्यक्ष सत्यापन की जो पद्धति प्रबंधन ने अपनाई है वह कंपनी के आकार और संव्यवहार की दृष्टि से उचित है.

सी) कंपनी ने सामग्री सत्यापन के समुचित अभिलेखों का रखरखाव किया है. हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अभिलेखों के साथ भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर कुछ अंतर पाया गया. उपर्युक्त कमियों का बकाया आमेलन इन कमियों / आधिक्य को स्टॉक समायोजन में दिखाया गया है जिसे अंततः विधिवत् मिलान के बाद बट्टे खाते / वापसी में डाला जाएगा. इसके अलावा स्टॉक की प्रत्यक्ष जाँच के दौरान उपर्युक्त में से बुक रिकॉर्ड अनुसार कोई भी कमी नहीं पायी गयी.

iii) ए) हमें बताया गया है कि कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन पंजी में सूचीबद्ध फर्म या पार्टियों से न तो किसी से ऋण लिया है और न ही किसी को ऋण दिया है.

बी) हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने जिन पार्टियों को अग्रिम के रूप में ऋण दिया है वे अनुबंध के आधार पर मूल धन और जहाँ कहीं ब्याज लागू हो, नियमित रूप से दे रहे हैं.

iv) हमारे विचार से और हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास अपने आकार और संव्यवहार की प्रकृति के अनुरूप सामग्री की खरीद, स्थायी परिसंपत्तियों और उत्पाद की बिक्री के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया व्यवहृत है.

मूल्यांकित भंडार की खाता-बही और प्रत्यक्ष शेष के बीच के अंतर का आवधिक आमेलन किया जाता है.

v) ए) हमारे विचार से और हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी संविदा या अनुबंध के अनुसरण में कोई संव्यवहार अथवा व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं जिसकी प्रविष्टि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी पंजी में की जानी आवश्यक होती है.

बी) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी जानी वाली पंजी में वर्ष के दौरान किसी भी पार्टी के नाम पर 5,00,000/- ₹ या अधिक का संव्यवहार प्रविष्टित नहीं किया गया है.

vi) कंपनी ने जनता से किसी भी प्रकार का निक्षेप स्वीकार नहीं किया है.

vii) हमारी राय में, कंपनी के विस्तार और संव्यवहार के समनुरूप लेखा प्रणाली व्यवहृत है.

viii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1)(डी) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार ने कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों के लिए लागत अभिलेखों का रखरखाव विहित नहीं किया है.

ix) ए) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराया जाता है. हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2009 तक 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए देयता की तारीख से किसी भी प्रकार की उपर्युक्त अविवादित राशि का भुगतान बकाया नहीं है.

बी) ₹ 8856.27/- लाख की विवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास मामले लंबित होने के कारण जमा नहीं की गयी है. इनका विवरण इस प्रकार है :

क्र सं.	संविधि का नाम	बकाया राशि का प्रकार	किस फोरम के पास मामला लंबित है	राशि (₹ लाख)
1.	सी.एस.टी. अधिनियम	सी.एस.टी	आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	1462.68
2.	सी.एस.टी अधिनियम	सी.एस.टी	आंध्र प्रदेश बिक्री कर अपीली न्यायाधिकरण	7055.91
3.	सी.एस.टी	सी.एस.टी अधिनियम	डी सी, चारमीनार हैदराबाद	284.36
4.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा शुल्क	अपर आयुक्तसेवा शुल्क, हैदराबाद II	53.32
		कुल		8856.27

x) हमारे द्वारा जिस वित्तीय वर्ष का लेखा-परीक्षण किया गया है या उसके तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई घाटा नहीं हुआ है और न ही कंपनी ने किसी प्रकार की नकदी गँवायी है.

xi) हमारी राय में और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी वित्तीय संगठन या बैंक को राशि लौटाने में कोई चूक नहीं की है.

xii) हमारी राय में और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयर प्रतिभूति बंधक कर के आधार पर किसी भी प्रकार के ऋण या अग्रिमों का अनुदान नहीं किया है.

xiii) हमारी राय में यह कंपनी कोई चिटफंड, निधि या परस्पर लाभ-निधि संस्था नहीं है. अतः इस पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 की धारा 4 (xiii) लागू नहीं है.

xiv) कंपनी किसी प्रकार के शेयरों की खरीद-फरोख्त, प्रतिभूति, डिबेंचर और अन्य किसी प्रकार के निवेश नहीं करती है.

xv) कंपनी ने कोई मियादी ऋण नहीं लिये हैं.

xvi) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी अल्पावधि आधार पर कोई राशि नहीं ली और न ही इसे किसी दीर्घकालीन निवेश में लगाया है. साथ ही, कोई दीर्घकालीन ऋण भी नहीं लिया है.

xvii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये बही में सूचित किसी भी कंपनी, फर्म या निजी पार्टी को अधिमान्यता के आधार पर शेयरों का आबंटन नहीं किया है.

xviii) कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किए.

xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिये किसी भी प्रकार की राशि नहीं जुटायी है.

xx) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार इस वर्ष के दौरान कंपनी को या कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं है.

कृते डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी
पंजीकरण संख्या 002918S
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

एम वी शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं. 205213

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 जुलाई, 2011

कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 217 (3) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों का निरीक्षण तथा कंपनी द्वारा दिए गए समाधान

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ	लेखा-परीक्षकों के निरीक्षण	कंपनी द्वारा समाधान
3 (एफ) (i)	कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211/(3ए) के अंतर्गत सेगमेंट रिपोर्टिंग के लेखा मानक एएस 17 के अनुरूप आवश्यक सूचना के प्रकटीकरण की टिप्पणी सं.11. तथापि, चालू वर्ष के लाभ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.	प्रकटीकरण की संवेदनशीलता तथा संव्यवहार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया है कि सेगमेंट रिपोर्टिंग के संबंध में लेखा मानक-17 के अनुसार आवश्यक सूचना विवेकशीलता से कंपनी के लेखाओं की अनुसूची-23 की टिप्पणी-11 में प्रकट न की जाए. इस संबंध में लेखाओं की अंगभूत अनुसूची-23 की टिप्पणी 11 में प्रकटीकरण किया गया है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि.से.मे. (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

एस वी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ.

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय अभिलेखन रूपरेखा के अनुपालन में 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व उद्यम के प्रबंधन का है. इन वित्तीय विवरणों पर राय देने का उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का है जो इस अधिनियम की धारा 227 के अंतर्गत पेशेवर निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुपालन में की गयी स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होगी. लगता है उनकी दिनांक 29 जुलाई, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार यह दी जा चुकी है.

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3)(बी) के अंतर्गत भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है. यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के कार्य पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी जो प्राथमिकतः सांविधिक लेखापरीक्षा की पड़ताल और उद्यम के कार्मिकों तथा कुछ चुने हुए लेखा अभिलेखों की परीक्षा तक सीमित है. मेरे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट / अनुपूरक रिपोर्ट पर कुछ भी टिप्पणी करने योग्य नहीं पाया गया.

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की ओर से

(वाई एन ठाकरे)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 26 अगस्त 2011

हमारे उत्पाद

ताल

मिलान-2टी

बीडीएल-सीएमडीएस प्लैटफार्म